[illegible]

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आषाढ़ 1920 (श०)

(सं० पटना, 234) पटना, बृहस्पतिवार, 2 जुलाई, 1998

पशुपालन एवं मत्स्य विभाग

(पशुपालन)

अधिसूचना

2 जून 1998

सं० जी0 एस० आर० नं०-5 एस० (3) 1018।98—2484—भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार राज्य में राज्य पशु चिकित्सा परिषद् का गठन तथा उससे अनुषंगी मामले के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

गोपाल कृष्ण,
सरकार के उप-सचिव ।

नियमावली 1

भाग I

प्रारम्भिक 1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली बिहार पशु चिकित्सा परिषद् नियमावली 1998 कही जा सकेगी ।

(2) यह शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा ।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

2. परिभाषाएं—(1) जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में—

(क) अधिनियम से अभिप्रेत है भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52)

(ख) राज्य परिषद् से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन स्थापित बिहार पशु चिकित्सा परिषद्,

(ग) निर्वाचन से अभिप्रेत है बिहार पशु चिकित्सा परिषद् का निर्वाचन।

(घ) निर्वाचन क्षेत्र से अभिप्रेत है वर्ग-1 जिसके प्रतिनिधि के निमित्त इस नियमावली के अधीन सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित किया जाना है या किया गया है।

(च) रजिस्ट्रार से अभिप्रेत है बिहार पशु चिकित्सा परिषद् का रजिस्ट्रार।

(छ) अध्यक्ष से अभिप्रेत है बिहार पशु चिकित्सा परिषद् का अध्यक्ष।

(ज) मतदाता से अभिप्रेत है नियमावली के अधीन अन्तिम रूप से प्रकाशित निर्वाचन नामावली में दर्ज व्यक्ति का नाम।

(झ) प्रपत्र से अभिप्रेत है वह प्रपत्र जो इस नियमावली के उपाबद्ध है।

(ञ) (1) निर्वाचन पदाधिकारी से अभिप्रेत है रजिस्ट्रार अथवा निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए बिहार सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति।

(ट) धारा से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा।

(ठ) सेवा से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन गठित सेवा।

(ड) "अधिकरण" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 45 के अधीन गठित बिहार पशु चिकित्सा परिषद् के लिये रजिस्ट्रीकरण अधिकरण।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त और पृथक रूप से परिभाषित नहीं किये गये वैसे शब्द एवं अभिव्यक्ति जिन्हें विनिर्दिष्ट रूप से प्रमाणित नहीं किये गये हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में समनुदेशित है।

भाग-II

निगमन एवं निर्वाचन

3. पशु चिकित्सा परिषद् का निगमन—राज्य पशु चिकित्सा परिषद् एक निगमित निकाय होगा जो बिहार पशु चिकित्सा परिषद् के नाम से जाना जायेगा और उसे शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगी और चल-अचल दोनों सम्पत्तियों को अर्जित करने और धारण की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वाद चलायेगा या उस पर चलाया जायेगा।

4. पशुचिकित्सा परिषद् के निर्वाचन की सूचना—(1) जब कभी परिषद् का निर्वाचन अपेक्षित हो, तो रजिस्ट्रार, अन्तिम निर्वाचन नामावली की तैयारी के उपरान्त राज्य सरकार को सलाह देगी कि वह एक नोटिस जारी करें जिसमें निर्वाचकों को नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख तक परिषद् सदस्य निर्वाचित करने के लिये कहा जायेगा।

(2) अधिनियम की धारा 32बी उप-धारा (1) खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा योग्य तीन सदस्यों को मनोनीत किया जायेगा।

(3) अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ०) के अधीन मनोनयन, संयुक्त रूप से राज्य पशु-चिकित्सा संघ के महासचिव एवं अध्यक्ष द्वारा अपनी कार्यपालिका की सहमति प्राप्त करने के बाद किया जायेगा।

5. निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और निर्वाचन नामावली का तैयार किया जाना—

(1) निर्वाचन क्षेत्र गठित करने के प्रयोजनार्थ बिहार राज्य को चार क्षेत्रों यथा-केन्द्रीय, उत्तरी, पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्र में बांटा जायेगा। केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत पटना और मगध प्रमंडल, उत्तरी क्षेत्र के अन्तर्गत तिरहुत, सारण एवं दरभंगा प्रमंडल, पूर्वी क्षेत्र के अन्तर्गत भागलपुर, मुंगेर, कोशी पूर्णियाँ और संथालपरगना प्रमंडल तथा दक्षिण क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तरी एवं दक्षिणी छोटानागपुर और पलामू प्रमंडल आयेंगे।

(2) रजिस्ट्रार निर्वाचन नामावली का विनिर्दिष्ट तिथि तक एक प्रारूप तैयार करेगा, जैसा कि प्रत्येक क्षेत्र के लिये पृथक रूप से उसके द्वारा अधिसूचित किया गया है जिसमें प्रत्येक निर्वाचक का नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, वर्त्तमान पता एवं रजिस्ट्रेशन संख्या समाविष्ट रहेगा, जैसा कि पशुचिकित्सा व्यवसायी पंजी में अंकित है। निर्वाचक नामावली प्रपत्र संख्या 1 में तैयार की जायेगी।

6. निर्वाचक नामावली के प्रारूप का प्रकाशन:—निर्वाचन नामावली का प्रारूप रजिस्टार द्वारा नियम 5 के उपनियम (2) के अधीन यथा निमित निर्वाचक नामावली का प्रारूप नियम 7 में विहित रीति से शासकीय गजट में यथा अधिसूचित, सार्वजनिक निरीक्षण के लिए कम-से-कम तीस दिनों की अवधि के लिए प्रदर्शित किया जायेगा। रजिस्ट्रार एक नोटिस भी विनिर्दिष्ट तिथि तक गलत प्रविष्टियां या लोप संबंधी आपत्तियों को आमंत्रित करने के लिए जारी करेगा।

7. प्रदर्शन करने का तरीका:—निर्वाचक नामावली के संबंध में कोई भी आदेश सार नोटिस जिसे इस नियमावली के अधीन सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है उसे निम्नलिखित पदाधिकारियों कार्यालय के बाहर सुगोचर स्थानों में चिपकाकर प्रदर्शित किया जायेगा।

(क) जिला दण्डाधिकारी।उपायुक्त।

(ख) परिषद् का रजिस्ट्रार।

(ग) क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन।

(घ) जिला पशुपालन पदाधिकारी।

8. आपत्तियां और उसका निपटारा:-(1) लोप या गलत प्रविष्टि के संबंध में सभी आपत्तियां उस व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से प्रपत्र संख्या-2 में भरी जायेगी और हस्ताक्षरित होगी जो नामावली में गलत पविष्टि या लोप की शुद्धि चाहते हैं।

(2) किसी नाम को समावेश करने के संबंध में सभी आपत्तियां आपत्ति करने वाले व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से प्रपत्र संख्या-3 में भरी जायेगी और हस्ताक्षरित होगी और ऐसी आपत्ति उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जायेगी तथा वैसे अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगी जिनका नाम नामावली में अंकित हो:

(3) नियम 8 के उपनियम (1) और (2) के अधीन सभी आपत्तियां परिषद के रजिस्टार के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी जिसे वह लिखित रूप में एक आदेश द्वारा विनिश्चित करेगा।

(4) रजिस्टार का विनिश्चय ऐसी आपत्ति पर अंतिम होगा।

9. निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन:—(1) रजिस्ट्रार आपत्तियां यदि कोई हो, के निपटारे के पश्चात क्षेत्र के आधार पर अंतिम निर्वाचक नामावली तैयार करेगा, उसे मुद्रित करायेगा और नियम-7 के अन्तर्गत प्रदर्शित करायेगा। निर्वाचक नामावली की आपूर्ति परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उन व्यक्तियों को की जायेगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे। प्रत्येक क्षेत्र के लिए परिषद के गठन के लिये तैयार की गयी निर्वाचक नामावली की कीमत एक सौ रुपये होगी तथा निर्वाचक नामावली के मूल्य में समय-समय पर राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संशोधन कर सकेगी।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसका नाम अन्तिम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है, निर्वाचन में भाग लेने का हकदार नहीं होगा।

(3) रजिस्ट्रार बिहार गजट में प्रकाशनार्थ अन्तिम निर्वाचक नामावली की एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा।

10. रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी––

(1) निर्वाचक नामावली की प्रतिलिपि की प्राप्ति के बाद राज्य सरकार रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगी जो या तो रजिस्ट्रार होगा अथवा सरकार द्वारा नियुक्त कोई पदाधिकारी जो उप-सचिव से अन्यून श्रेणी का हो।

(2) राज्य सरकार रिटर्निंग अधिकारी के सहायतार्थ हरेक निर्वाचन क्षेत्र के लिये एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(3) जब कभी रिटर्निंग अधिकारी अपरिहार्य कारण से अनुपस्थित हो या अस्वस्थ हो तो सहायक रिटर्निंग अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी के नियंत्रण से सभी या कोई कृत्यों को उनके द्वारा प्राधिकृत किये जायें, करने में सक्षम होंगे।

11. निर्वाचन कार्यक्रम––निर्वाचक नामावली के अन्तिम रूप से प्रकाशित होने के बाद, रजिस्ट्रार परिषद के निर्वाचन के लिये नोटिस जारी करेगा और निर्वाचन कार्यक्रम को तैयार और प्रकाशित करेगा तथा वह निर्धारित करेगा––

(क) नाम निर्देशन दाखिल करने की अन्तिम तिथि, नोटिस प्रकाशन के सातवां दिन होगा, और यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश का दिन हो, तो उसका उत्तरवर्ती दिन होगा जो सार्वजनिक अवकाश का दिन नहीं हो,

(ख) नाम निर्देशन की समीक्षा की तिथि नाम निर्देशन करने के अन्तिम दिन के बाद दूसरा दिन होगा वह दिन सार्वजनिक अवकाश का दिन हो, उत्तरवर्ती दिन होगा जो सार्वजनिक अवकाश का दिन नहीं हो,

(ग) उम्मीदवारी की वापसी की अन्तिम तिथि नाम निर्देशन की संवीक्षा के पश्चात दूसरा दिन होगा और यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश हो, तो उसका उत्तरवर्ती दिन होगा जो सार्वजनिक अवकाश का दिन न हो,

(घ) मतदान यदि आवश्यकता हो तो वैसी तिथि या तिथि उम्मीदवारी वापस लेने की अन्तिम तिथि के बाद की कम से कम पन्द्रह दिन से पहले न हो,

(ङ) मतगणना एवं परिणाम घोषणा की तिथि समय, स्थान, मतदान की तिथि से तीसरे दिन से आगे न होगा। यदि सम्भव हो तो मतदान की समाप्ति के बाद मतगणना एवं परिणाम की घोषणा उसी तिथि को की जा सकेगी।

(2) इस प्रकार तैयार और प्रकाशित निर्वाचन कार्यक्रम में तिथि, समय और स्थान, विनिर्दिष्ट रहेगा, जः से नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त किया जाना है या परिदत्त करना है।

12. उम्मीदवारों का नाम निर्देशन––नियमावली के अधीन प्रकाशित अंतिम निर्वाचक नामावली में जिस व्यक्ति का नाम है, वह परिषद् में निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के रूप में, नाम निर्देशन-पत्र दाखिल कर सकता है।

13. नाम निर्देशन-पत्र की प्रस्तुति एवं वैध नाम निर्देशन की अपेक्षा––

(1) चुनाव लड़ने का इच्छुक सदस्य रिटर्निंग अधिकारी को प्रपत्र संख्या 4 में व्यक्तिगत रूप से नाम निर्देशन-पत्रों को परिदत्त करेगा परन्तु वह कि कतिपय अपरिहार्य कारणों से, यदि कोई उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से अपना नाम निर्देशन-पत्र परिदत्त करने में असमर्थ हों तो प्रपत्र संख्या-4 में सम्यक् रूप से भरा गया उसका नाम निर्देशन-पत्र उसके प्रस्तावक या समर्थक द्वारा परिदत्त किया जायेगा।

(2) प्रत्येक नाम निर्देशन-पत्र दो निर्वाचकों द्वारा हस्ताक्षरित होगा,एक प्रस्तावक और दूसरा समर्थक के रूप में तथा प्रस्तावित उम्मीदवार द्वारा अनुमत होगा :

परन्तु यह कि एक उम्मीदवार से अधिक के लिए प्रस्तावक का समर्थक के रूप में,कोई भी निर्वाचक हस्ताक्षरित नहीं करेगा।

(3) प्रत्येक नाम निर्देशन-पत्र की प्राप्ति पर, रिटर्निंग अधिकारी उसपर प्राप्ति की तिथि और समय अंकित करेगा।

14. नाम निर्देशन-पत्रों की अस्वीकृति––नाम निर्देशन-पत्र जो अधिसूचित समय एवं तिथि या उसके पूर्व न प्राप्त हो, तो अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

15. जमा की जाने वाली प्रतिभूति––

(1) नाम निर्देशन-पत्र भरनेवाला प्रत्येक अभ्यर्थी प्रति जमा के रूप में रजिस्ट्रार बिहार पशु चिकित्सा परिषद्, पटना-14, को देय भारतीय स्टेट बैंक पटना सचिवालय शाखा पर लिया गया 500 (पाँच सौ) रुपये या वह राशि जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा नियत हो, का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करेगा और जब अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों द्वारा अपनी प्रतिभूति जमा के रूप में बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं किया जायगा तब उनके नाम निर्देशन-पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायगा।

(2) यदि कोई अभ्यिथी अपनी उम्मीदवारी वापस लेता है अथवा यदि किसी अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाता है तो प्रतिभूति वापस कर दी जायगी अथवा यदि मतदान आरंभ होने के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाय तो उसके विधिक प्रतिनिधि को प्रतिभूति वापस कर दी जायगी;

(3) यदि कोई अभ्यर्थी निर्वाचित न हो और उसको प्राप्त मतों की संख्या मतदान किये गये कुल मतों के एक तिहाई से कम हो तो उसके द्वारा जमा के गई प्रतिभूति जमा परिषद को समाहृत हो जायगी;

(4) प्रतिभूति जमा यदि समाहृत न हो तो राजपत्र में निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के तुरन्त बाद यथा स्थिति अभ्यार्थी या उसके विधिक प्रतिनिधि को वापस कर दी जायगी।

16. नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा––

(1) नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिये रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियत तिथि और समय पर अभ्यर्थी अथवा प्रत्येक अभ्यर्थी का प्रस्ताव या समर्थक अथवा अभ्यार्थी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत अन्य ऐसे प्रतिनिधि उनकी ओर से रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित रह सकते है, जिन्हें वह सभी अभ्यर्थियों से प्राप्त,नाम निर्देशन पत्रों की जाँच करने हेतु अनुमति देगें।

(2) इसके बाद रिटर्निंग अधिकारी प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की जांच करेगा और ऐसे सभी प्रश्नों पर निर्णय लेगा जो सभी अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्रों की तिथि मान्यता के संबंध में उठाये जायेंगें और प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र पर उसके स्वीकृत या अस्वीकृत होने के संबंध में अपना निर्णय अंकित करेगा और यदि वह अस्वीकृत करे तो अपना कारण लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।

17. उम्मीदवारी की वापसी––कोई भी अभ्यर्थी लिखित रूप में अपने हस्ताक्षर से वापसी के लिये नियत तिथि और समय की समाप्ति के पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को सूचना देकर अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकेगा। इस प्रकार अपनी उम्मीदवारी वापस लेनेवाले किसी भी अभ्यर्थी को अपनी वापसी रद्द करने की अनुमति दी जायगी।

18. निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन:

(1) रिटर्निंग अधिकारी वापसी के लिये नियत तारीख और समय की समाप्ति पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार और प्रकाशित करेगा जिनके नाम निर्देशन विधि मान्य पाये गये हों।

(2) सूची में नाम निर्देशन पत्रों में दिये गये निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के पता के साथ-साथ वर्णक्रमानुसार नाम अंतर्विष्ट रहेंगें।

(3) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रपत्र संख्या 5 में एक पृथक सूची होगी।

(4) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम मत-पत्र में प्रपत्र संख्या 6 में प्रविष्टि किये जायेंगे।

(5) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों को अंतर्विष्ट करने वाली सूची राजपत्र में प्रकाशित की जायगी तथा इन नियमों के प्रावधानों के अधीन प्रदर्शित की जायगी।

19. निर्वाचन के पूर्व निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की मृत्यु—कोई भी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, जिसका नाम निर्देशन पत्र जांच में विधि मान्य पाया गया है और जिसने अपनी उम्मीदवारी वापस न ली हो, यदि मर जाता है और मतदान आरंभ होने के पूर्व रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस संबंध में जानकारी प्राप्त होती है तो रिटर्निंग अधिकारी सत्यापन के बाद समाधान हो जाने पर मतदान को प्रत्यादिष्टि कर देगा :

परन्तु यह कि यदि अभ्यर्थी की मृत्यु की जानकारी मतदान आरंभ होने के बाद प्राप्त होती है तो निर्वाचन प्रत्यादिष्ट नहीं किया जायगा।

20. निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थी यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की संख्या निर्वाचन क्षेत्र में रिक्ति की संख्या के बराबर हो तो रिटर्निंग अधिकारी वैसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित कर देगा और उस व्यक्ति का नाम अध्यक्ष और राज्य सरकार को अग्रेषित कर देगा।

21. जब मतदान आवश्यक हो—जब किसी निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक हो तो अधिसूचित तारीख को मतदान कराया जायेगा।

22. मतदान की पद्धति—

(1) रिटर्निंग अधिकारी, विधि मान्य नाम निर्देशन की सूची के प्रकाशन के बाद, सहायक रिटर्निंग अधिकारी की सहायता से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करायेगा।

(2) रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिये मतदान हेतु तारीखा एवं समय को पृथक रुप से अधिसूचित करेगा और सहायक रिटर्निंग अधिकारी को मतदान स्थल पर मतदान की तिथि को दो दिन पूर्व भेज देगा जो रिटर्निंग अधिकारी के निदेशानुसार मतदान हेतु आवश्यक व्यवस्था करेगा।

(3) रिटर्निंग अधिकारी कम से कम एक दिन पूर्व मतदान स्थल पर पहुंच जायेगा और सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की गयी व्यवस्थाओं की जांच कर लेगा।

(4) रिटर्निंग अधिकारी मतदान के संचालन के सहायक रिटर्निंग अधिकारी या सरकार द्वारा कार्यपालक अनुदेश माध्यम से अनुदेशित अन्य पदाधिकारी के माध्यम से निम्नलिखित मतदान सामग्रियों और प्रपत्रों को भेज देगा :—

(अ) सामग्री—

(क) मत पेटियां—2
(ख) सेल्फ इंकिंग पैड (बैंगनी)—2
(ग) मतपत्र पर चिह्न लगाने के लिये तीर छाप रबर स्टाम्प—2
(घ) मतपेटी में मतपत्र घुसेड़ने के लिये पुशर—1
(ङ) निर्वाची पदाधिकारी के लिये धातु की मुहर—1
(च) मतपत्र को अधकट्टी से अलग करने हेतु धातु का रूलर—1
(छ) निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केन्द्र के नाम का रबर स्टाम्प—1
(ज) मुहर लगाने से पहले मतपेटी को सुरक्षित रूप से बंद करने हेतु लचीली तार—2 मीटर।
(झ) लाह-2 अदद।
(ञ) बाल प्वायंट पेन—2 एक लाल और एक नीला
(त) मोमबत्ती बड़ी—2
(थ) दियासलाई—1

(द) गोंद—1
(ध) रिटर्निंग अधिकारी के लिये बैंज—2
(न) सहायक रिटर्निंग अधिकारी के लिये बैंज—2
(ट) सादा काजग—12 सीट
(ठ) कार्बन पेपर—6 सीट
(ड) रैपिंग पेपर—2 सीट
(ढ) मतपेटी को सुरक्षित करने हेतु सूता का फीता—1 रौल
(ण) अधिक स्याही को हटाने के लिये कपड़े—2 मीटर अथवा रैप का टुकड़ा
(प) मतकक्ष (बोटिंग कम्पार्टमेंट)—2
(फ) मतकक्ष को लगाने हेतु ड्राइंग पीन—12
(ब) निर्वाचन नामावली—2
(भ) मतपेटी हेतु कपड़े का थैला—2
(म) सूतली—18 मीटर
(य) पीन—4 पैकेट
(र) मतगणना ट्रे—10

नोट—उपर्युक्त सभी मतदान सामग्री कड़े पौलिथीन थैले में आपूर्त्ति की जायेगी।

(आ) प्रपत्र—

(क) मतदान।मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति हेतु प्रपत्र संख्या 7 प्रत्येक—12
(ख) मतदान लेखा प्रपत्र संख्या 8—2
(ग) मतपेटी के बाहर चिपकाने के लिये लेबुल—2
(घ) मतपेटी के अन्दर रखने हेतु पते की चिट—2
(ङ) मतदान।मतगणना अभिकर्त्ता हेतु प्रवेश-पत्र प्रत्येक—12

(इ) पोस्टर—

(क) चुनाव लड़नेवाले उम्मीदावरों की सूची-2 प्रपत्र संख्या—5
(ख) मतदान क्षेत्र जिला संबंधी सूचना मतदान का समय—2

(ई) लिफाफा (कभर)—

(क) निर्वाचन नामावली की चिह्नित प्रति—1
(ख) निर्वाचन नामावली की दूसरी प्रति—1
(ग) मतदान अभिकर्त्ता का नियुक्ति पत्र—1
(घ) अव्यवहृत मतपत्र (अहस्ताक्षरित)—1
(ङ) हस्ताक्षरित परन्तु अव्यवहृत मतपत्र—1
(च) मतपत्र लेखा
(छ) लौटाये गये, खराब हुए तथा अन्य रद्द किये गये मतपत्र—1
(ज) व्यवहृत मतपत्रों की अधकट्टी—1

(5) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिये पशुपालन विभाग के क्षेत्रीय मुख्यालय के किसी कार्यालय में मतदान केन्द्र अवस्थित होगा जिसे रिटर्निंग अधिकारी अधिसूचित करेगा।

(6) रिटर्निंग अधिकारी एक सूचना मतदान केन्द्र के बाहर प्रदर्शित करेगा जिसमें निम्नलिखित अंतर्विष्ट रहेंगे—

(क) मतदान क्षेत्र।निर्वाचन क्षेत्र,
(ख) प्रपत्र संख्या-5 में निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति।

(7) सामान्यत: प्रत्येक बण्डल में 50 मतपत्र होंगे। मतदाता को मत निर्गत किये जाने के पूर्व मतपत्र और उसकी अधकट्टी दोनों की पीठ पर दाहिने ओर ऊपरी कोने पर सुभिन्नक चिह्न निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केन्द्र के नाम का स्टाम्प लगाया जायेगा। गतिरोध के बिना मतपत्रों के निर्गम में सुविधा प्रदान करने हेतु और किसी भी मतपत्र के बिना सुभिन्नक चिह्न के निर्गम होने की संभावना को दूर करने के लिये सहायक रिटर्निंग अधिकारी मतदान के लिये एक दिन पूर्व अथवा रिटर्निंग अधिकारी के निदेशानुसार सुभिन्नक चिह्न लगा देगा।

मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाये जानेवाले मतपत्रों को प्रथम एवं अंतिम क्रम संख्या मतदान आरंभ होने के पूर्व मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्त्ताओं के सामने घोषित कर दी जायेगी।

(8) निर्वाचक को मतपत्र निर्गत करने के पूर्व रिटर्निंग अधिकारी मतपत्र के बण्डलों को इस प्रकार मिला देगा कि मतदाता को मतपत्र बेतरतीब रूप से दिया जा सके न कि क्रमवार में।

(9) रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक मतपत्र की पीठ पर उसे मतदाता को निर्गत करने के पूर्व अपना हस्ताक्षर अंकित कर देगा।

(10) जब निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थियों की संख्या नौ से अधिक न हो तो मतपत्र केवल एक कॉलम में छापे जायेंगे और यदि निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थियों की संख्या नौ से अधिक हो तो मतपत्र दो कॉलम में छापे जायेंगे।

(11) मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा। सहायक रिटर्निंग अधिकारी को मतदाता की पहचान का जांच का प्रभारी होगा, इसके पहचान-पत्र के द्वारा मतदाता की पहचान का सत्यापन करेगा तथा सूची में मतदाता के नाम को चिह्नित कर देगा, यदि मतदाता, खो जाने, बर्बाद होने या गुप्त हो जाने के चलते अपना पहचान-पत्र न लाये तो उसे जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज आकार का फोटो, अपना पूरा नाम, पदनाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या दर्शाते हुए प्रस्तुत करना होगा जिसके द्वारा मतदाता की पहचान सत्यापित की जायेगी। ऐसा फोटो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिया जायेगा जिसे मतगणना के बाद वापस किया जायेगा जहां पर मतदाता की पहचान के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो अथवा मतदान अभिकर्त्ता द्वारा उस मतदाता के विरुद्ध प्रतिवाद किया जाय, वहां मतदाता को मतदान की स्वीकृति तबतक नहीं दी जायेगी जबतक कि उसकी पहचान स्थापित न हो जाय। शंका का प्रतिवाद की दशा में रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। जब मतदाता की पहचान सम्यक् रूप से सत्यापित हो जाय और मतदान अभिकर्त्ताओं द्वारा प्रतिवाद न किया जाय तो मतदाता से द्वितीय सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पास जाने को कहा जायेगा जो मतपत्र के अधकट्टी पर मतदाता का हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद मतपत्र आपूरित करेगा मतदाता को तब मतदान कक्ष में जाने के लिये कहा जायेगा जहां पर वह उसपर अभ्यर्थी के नाम के सामने जिसे वह मत देना चाहता हो, अपने से (×) का चिह्न लगा देगा। इसके पश्चात् मतदाता मोड़ा हुआ मतपत्र लायेगा और उसे रिटर्निंग अधिकारी के सामने रखी मतपेटी के अन्दर डाल देगा।

(12) निर्वाचन के लिये जब कभी एलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन का उपयोग में लायी जाय तब नियम में प्रतिपादित मतदान और मतगणना की पद्धति स्वतः रूपान्तरित समझी जायेगी।

23. मतदान अभिकर्त्ताओं की उपस्थिति—प्रत्येक अभ्यर्थी को अपनी ओर से अधिक-से-अधिक दो मतदान अभिकर्त्ताओं को प्रपत्र संख्या 7 में नाम निर्देशन करने का अधिकार होगा। अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्त्ता मतदान आरम्भ होने के कम-से-कम पन्द्रह मिनट पूर्व मतपेटी को सील करने के समय उपस्थित रहने के उद्देश्य से मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहेंगे।

24. मतदान अभिकर्त्ताओं के बैठने की व्यवस्था—मतदान अभिकर्त्ताओं को सुविधानुसार सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पीछे बैठने का स्थान दिया जायेगा।

25. मतदान केन्द्र के अन्दर धूम्रपान निषेध—मतदान केन्द्र के अन्दर धूम्रपान करने की स्वीकृति किसी व्यक्ति को नहीं होगी।

26. मतपेटी की तैयारी—मतपेटी सील करने की तैयारी मतदान आरंभ होने के अनुसूचित समय से दस-पन्द्रह मिनट पहले शुरू की जायेगी। मतपेटी सील किये जाने के पूर्व मतदान अभिकर्त्ताओं को उसे निरीक्षण करने की अनुमति दी जायेगी। उस समय तक यदि कोई मतदान अभीकर्त्ता नहीं पहुंचे हों तो रिटर्निंग अधिकारी को उनके पहुंचने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी और मतपेटी मतदान आरम्भ होने के नियत समय पर सील कर दी जायेगी। पेटी के अन्दर पते की चिट डाल दी जायेगी और उसकी प्रति पेटी के बाहर चिपका दी जायेगी। मतपेटी का क्रमांक पते की चिट पर उल्लिखित रहेगा।

27. मतपेटी का निर्माण—मतपेटी ताला बंद करने की व्यवस्था के साथ साधारण टीन।कलईदार लोहे की चादर की होगी।

28. मतपत्रों का लेखा-जोखा मतदान बंद होने के बाद प्रपत्र संख्या 8 में मतदान का लेखा तैयार किया जायेगा। मतपत्रों की कुल संख्या निम्नलिखित के कुल योगों के अनुरूप होगी :—

(क) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित व्यवहृत मतपत्र।
(ख) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अव्यवहृत मतपत्र।
(ग) मतदाताओं को निर्गत किये गये मतपत्र।
(घ) किसी कारण से रद्द किये गये मतपत्र।

29. मतपत्रों का रद्दीकरण—(1) यदि कोई निर्वाचक मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करे तो उसे कोई मतपत्र नहीं दिया जायेगा और यदि मतपत्र उसे निर्गत किया गया हो तो वापस ले लिया जायेगा और उसे रद्द कर दिया जायेगा तथा मतपत्र और उसकी अधकट्टी पर निम्नलिखित अंकित कर दिया जायेगा :—
"रद्द" मतदान प्रक्रिया उल्लंघन।

(2) त्रुटिपूर्ण मतपत्र भी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा रद्द कर दिये जायेंगे और मतपत्र और अधकट्टी दोनों पर निम्नलिखित अंकित कर दिया जायेगा :—
"रद्द त्रुटिपूर्ण मतपत्र"।

(3) यदि मतदाता मतपत्र प्राप्त करने के बाद मत देना नहीं चाहता हो तो उसे बिना चिह्नित किये वापस कर देगा। ऐसे मतपत्र और उसकी अधकट्टी दोनों पर निम्नलिखित अंकित कर रद्द कर दिया जायेगा :—
"रद्द वापस"

(4) यदि कोई मतदाता सर्वप्रथम किसी एक अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान पर चिह्न लगा चुका हो और पूर्ण विचार से दूसरे अभ्यर्थी को मत देना चाहता हो अथवा उसे खराब कर दिया हो और वापस करे तो किसी भी दशा में उसे नया मतपत्र नहीं दिया जायेगा। इस प्रकार वापस किया गया मतपत्र नियम 29 के उप-नियम (3) के अधीन रद्द कर दिया जायेगा।

30. मतगणना—जब मतदान समाप्त हो जाय तो रिटर्निंग अधिकारी मतगणना अधिकारियों को नियुक्त करेगा जो उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता न हों। अभ्यर्थियों अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत मतगणना अभिकर्त्ता, यदि उपस्थित हों, की उपस्थिति में मतपेटी खोली जायेगी। डाले गये मतपत्रों को विभिन्न अभ्यर्थियों को आवंटित अलग-अलग ट्रे में बांटा जायेगा और गणना की जायेगी तथा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रपत्र संख्या-8 में अभिलिखित की जायेगी।

31. मतपत्रों की समीक्षा और अस्वीकृति के आधार।विभिन्न अभ्यर्थियों को आवंटित अलग-अलग ट्रे में मतपत्रों को छांटने की प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक मतपत्र की पूर्णरुप से जांच की जायेगी और अविधिमान्य मतपत्रों को पृथक ट्रे में मतपत्र दिया जायेगा और विधि अथवा अविधिमान्य मतपत्र की गणना पृथक रूप में की जायेगी। कोई भी मतपत्र अविधिमान्य घोषित किया जायेगा, यदि

(क) उसके पीठ पर रिटर्निंग अधिकारी का हस्ताक्षर निर्वाचन क्षेत्र मतदान केन्द्र का स्टाम्प न हो।

(ख) मतदाता मतपत्र पर अपने नाम का हस्ताक्षर कर दे अथवा उसपर कोई शब्द लिख दे या उसपर कोई ऐसा चिह्न लगा दे जिसके द्वारा उसका मत पहचानने योग्य हो जाय।

(ग) उस पर मतदान का निशान अभिलिखित न हो।

(घ) यह निर्णय करना अनिश्चित हो कि किसे मत दिया गया है।

(ङ) एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने मतदान का चिह्न लगाया गया हो।

(च) मतदान के योजनार्थ उपबंधित स्थान से अलग स्थान पर मतदान चिह्न लगाया गया हो जहां दिये गये मत के संबंध में कोई विवाद या दुविधा उत्पन्न हो तो रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

32 अनवरत मतगणना:—रिटर्निंग अधिकारी, यथा व्यवहार्य मतगणना जारी रखेगा और यदि अपरिहार्य कारणों से मतगणना स्थगित करनी पड़े तो वह निर्वाचन से संबंधी मतपत्रों और सभी अन्य कागजात को अपनी मुहर से तथा ऐसे निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थियों अथवा उनके प्रतिनिधियों की मुहर से मुहरबन्द कर देगा, जो अपनी मुहर लगाना चाहते हों, और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा के लिये पर्याप्त सावधानी से रखेगा।

33. पुनर्गणना—रिटर्निंग अधिकारी मतगणना के बाद स्वप्रज्ञान अथवा निर्वाचन लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी या उसके मतगणना अभिकर्त्ता के निवेदन पर मतों की पुनर्गणना कर सकता है। रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा।

34. परिणाम की घोषणा—(1) मतों की गणना या पुनर्गणना यथास्थिति जब पूरी हो जाय तो रिटर्निंग अधिकारी भरे जाने वाले सीटों की संख्या के अनुरूप सफल अभ्यर्थी का परिणाम घोषित कर देगा।

(2) रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन का परिणाम एक पत्र द्वारा सफल अभ्यर्थियों को संसूचित कर देगा और उसकी एक प्रति अध्यक्ष।रजिस्ट्रार को भेज दी जायगी तथा ऐसे प्राप्त परिणाम रजिस्ट्रार द्वारा संकलित किये जायेंगें और राजपत्र में प्रकाशन के लिये राज्य सरकार के पास भेज दिये जायेंगे।

35. निर्वाचन सामग्रियों का मुहरबंद किया जाना तथा उनका परिरक्षण—रिटर्निंग अधिकारी परिणाम की घोषणा के बाद मतदान पत्रों तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों को मुहरबंद कर देगा और उसे छः महीने की अवधि के लिये अथवा निर्वाचन अर्जी पर निर्णय तक यदि कोई दाखिल की हो, परिषद् के कार्यालय में रखे जायेंगे।

36. प्राधिकारी जिसके पास निर्वाचन अर्जी प्रस्तुत की जायेगी—(1) परिषद् के कार्यालय में दो सौ रुपये जमा करने की रसीद के साथ निर्वाचन अर्जी अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी जिसे राज्य सरकार को अग्रसारित कर दिया जायेगा।

(2) राज्य सरकार सभी तथ्यों और परिस्थितियों की कड़ी जांच करने के बाद किसी भी भ्रष्ट आचरण अथवा पर्याप्त कारण से निर्वाचन को शून्य घोषित कर सकेगी तथा नया निर्वाचन कर सकेगी। राज्य सरकार का निर्णय इस नियम के अधीन अंतिम होगा।

भाग III

अध्यक्ष का निर्वाचन

37. अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया—(1) अध्यक्ष का निर्वाचन परिषद् की प्रथम बैठक में ही होगा।

(2)(क) रजिस्ट्रार रिटर्निंग अधिकारी के रूप में बैठक में उपस्थित सदस्यों से अध्यक्ष के पद के लिये रजिस्ट्रार द्वारा निर्गत नाम निर्देशन पत्र पर उनके नाम निर्देशनों की मांग करेगा। प्रत्येक ऐसा नाम निर्देशन अन्य सदस्य द्वारा समर्थित होगा :—

परन्तु यह कि कोई भी अभ्यर्थी समर्थक के रूप में कार्य नहीं करेगा उसी प्रकार किसी भी अभ्यर्थी का समर्थक अध्यक्ष के लिये अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं कर सकेगा।

(ख) कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष के पद के लिये निर्वाचन लड़ने हेतु तब तक योग्य नहीं होगा जबतक कि वह व्यावसायिक अनुभव का पन्द्रह वर्ष पूरा न कर लें।

(3) यदि अध्यक्ष के पद के लिये केवल एक ही व्यक्ति का नाम निर्देशन हो तो उसे अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा।

(4) यदि अध्यक्ष के पद के लिये एक से अधिक व्यक्तियों का नाम निर्देशन हो तो रजिस्ट्रार मत द्वारा निम्नलिखित रीति से मतदान संचालित करेगा:—

(क) सम्यक् रूप से संख्यांकित मतपत्र उपस्थित प्रत्येक सदस्य को दिया जायेगा जो उस पर उस व्यक्ति का नाम लिखेगा जिसे अध्यक्ष पद के लिये मत देना चाहते हैं। मोड़ा हुआ मतपत्र रजिस्ट्रार को हस्तगत करा दिया जायेगा।

(ख) उसके बाद रजिस्ट्रार प्रत्येक अभ्यार्थी द्वारा प्राप्त किये गये मतों की गणना करेगा और अध्यक्ष के रूप में उसे निर्वाचित अभ्यर्थी घोषित कर देगा जिसे अधिकतम मत प्राप्त हुआ हो।

(ग) यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी बराबर मत प्राप्त किये हो तो रजिस्ट्रार उस रीति से जिसे वह उचित समझे लाट्री द्वारा निर्णय करेगा और लाट्री द्वारा इस प्रकार निर्वाचित घोषित करेगा।

(घ) अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद अपना व्यवसाय (प्रैक्टिस) छोड़ देगा और उसके बदले वह व्यवसाय निषेद भत्ते।वेतन जैसा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवा के उसी श्रेणी के अधिकारियों को अनुमान्य हो, का हकदार होगा।

भाग IV

परिषद् का कामकाज

38. परिषद् की बैठकें—(1) परिषद् की बैठकें सामान्यतया तिमाही हुआ करेगी जिसका समय और स्थान अध्यक्ष परामर्श से रजिस्ट्रार द्वारा नियत किया जाये परन्तु यह कि अध्यक्ष किसी भी समय यदि आवश्यक समझें, पन्द्रह दिन की पूर्व सूचना देकर विशेष बैठक बुला सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार सभी सदस्यों को डाक-प्रमाण-पत्र के अधीन एक पत्र द्वारा बैठक के बारे में बैठक की तारीख से कम-से-कम 15 दिन पूर्व अग्रिम सूचना देगा।

(3) किसी भी वित्तीय वर्ष में की गई परिषद् की अन्तिम बैठक उस वर्ष के लिये परिषद् की वार्षिक बैठक होगी।

39. बैठक की कार्यसूची—(1) रजिस्ट्रार बैठक की सूचना के साथ बैठक में लाये जाने वाले कागजात का वर्णन करते हुए एक प्रारंभिक कार्य सूची निर्गत करेगा।

(2) कोई भी सदस्य, जो कार्य सूची में सम्मिलित नहीं हो, में कोई प्रस्ताव लाने अथवा उसमें सम्मिलित किसी मद में संशोधन का इच्छुक हो तो उसकी सूचना वह रजिस्ट्रार को बैठक के लिए नियत तारीख से कम-से-कम सात दिन पूर्व देगा। इच्छित प्रस्ताव संशोधन का विवरण सूचना के साथ रजिस्ट्रार को भेजा जायेगा।

(3) विशेष बैठक के मामले में रजिस्ट्रार बैठक में लाये जानेवाले काम काज का वर्णन करते हुए बैठक की सूचना के साथ पूर्ण कार्य सूची बैठक के लिए नियत तिथि से कम-से-कम सात दिन पूर्व निर्गत करेगा।

(4) परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा अथवा उसकी अनुपस्थिति में परिषद् के वरीयतम सदस्य द्वारा की जायेगी।

40. बैठक का गणपूर्त्ति—(1) परिषद् के कुल सदस्यों के आधे से अधिक की उपस्थिति परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्त्ति होगी।

(2) बैठक तब तक आरंभ नहीं होगा जबतक कि गणापूर्त्ति पूरा न हो। यदि बैठक के लिए नियत समय से तीस मिनट की समाप्ति के बाद भी गणापूर्त्ति पूरा नहीं होती हो तो उसी तिमाही के ऐसी तारीख के लिए बैठक स्थगित कर दी जायगी जो अध्यक्ष के परामर्श से रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित की जाय। परन्तु यह कि यदि ऐसी बैठक में भी अपेक्षित गणापूर्त्ति पूरा न हो तो गणपूर्त्ति के अभाव में बैठक स्थगित नहीं की जायगी और उसी दिन तीस मिनट की समाप्ति के बाद गणापूर्त्ति के विचार किये बिना बैठक की जायेगी।

41. बैठक की कार्यवाहियां—बैठक की कार्यवाही।कार्यवृत्त रजिस्ट्रार द्वारा तय की जायेगी और अधिप्रमाणन के लिए सात दिन के भीतर अध्यक्ष के पास भेज दी जायगी इसके बाद रजिस्ट्रार उसकी एक-एक प्रति प्रत्येक सदस्य को पन्द्रह दिनों के भीतर भेज देगा।

भाग V

कार्यकारिणी और अन्य समितियां

42. समितियों का गठन—(1) अधिनियम की धारा 40 के अधीन परिषद अपने सदस्यों में ऐसे विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये जो परिषद द्वारा उसे समन्वेषित किये जायें, कार्यकारिणी समिति का गठन कर सकेगी। परिषद कार्यकारिणी समिति के निवेदन पर विशेष आमंत्रण के रूप में कार्यकारिणी समिति को परामर्श देने हेतु विशेष अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकेगी।

(2) परिषद अपने रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायियों में से ऐसे प्रयोजनों के लिए समितियों का गठन करेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे। परिषद् समिति के निवेदन पर विशेष आमंत्री के रूप में सचिव को परामर्श देने हेतु विशेष अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकेगी।

(3) इस नियम के उप-नियम (1) और (2) के अधीन विशेष आमंत्री को मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(4) इस प्रकार गठित कार्यकारिणी समिति।समितियों का अध्यक्ष इस समिति के गठन के समय परिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

(5) परिषद् द्वारा गठित समिति के सदस्यों द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित अपना प्रतिवेदन विसम्मतियों की टिप्पणी के साथ, यदि कोई हो रजिस्ट्रार को देगी। रजिस्ट्रार ऐसे प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर परिषद् की अगली बैठक के समक्ष उसे प्रस्तुत करेगा, जहां उस पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

भाग VI

रजिस्ट्रीकरण

43. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन—प्रत्येक व्यक्ति, जिसकी आयु 21 वर्ष हो चुकी हो और इस अधिनियम को प्रथम और द्वितीय अनुसूची वर्णित पशुचिकित्सा विज्ञान में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा धारित करता हो और अन्यथा निरर्हता प्राप्त नहो, विहित प्रपत्र संख्या-10 में स्वयं सम्यक रूप से भर कर तथा हस्ताक्षर करके औपबंधिक प्रमाण-पत्र की नकल प्रति के साथ रजिस्ट्रार के पास आवेदन करेगा। प्रत्येक आवेदन को अद्यतन पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो फ्रौन्ट पोज बस्ट की चार प्रतियां एक आवेदन प्रपत्र, एक राज्य पशु चिकित्सक पंजी, एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तथा एक पहचान पत्र के लिए देगा।

44. रजिस्टर का पहली बार तैयार किया जाना—(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक तारीख निर्धारित करेगी जिस तारीख को या उसके प्रपत्र सं०-10 में रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन पत्र मात्र 25 (पच्चीस रुपये) की विहित शुल्क के साथ रजिस्ट्रीकरण अधिकरण के पास जमा करेगा।

(2) अधिनियम की धारा 45 के उपधारा (3) एवं (4) के अधीन लिए गये निर्णय के अनुसार रजिस्ट्रार ऐसे पशुचिकित्सा व्यवसायियों की पंजी में दर्ज कर लेगा और इसके बाद प्रपत्र संख्या 12 में एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निर्गत करेगा।

(3) परिषद् की स्थापना होने पर अधिनियम की धारा-45 के अधीन तैयार की गई पंजी रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राप्त आवेदन शुल्क के साथ रजिस्ट्रार की अभिरक्षा-में दे दी जायेगी।

45. पंजी का अनुरक्षण—रजिस्ट्रार द्वारा प्रपत्र संख्या-11 में एक राज्य पशुचिकित्सक पंजी अनुरक्षित की जायेगी तथा उसका प्रत्येक पृष्ठ क्रमवार संख्यांकित किया जायेगा।

46. पंजी में नाम दर्ज किया जाना—राज्य के पशु चिकित्सा व्यवसायी के नाम पंजी में उस क्रम से दर्ज किये जायेंगे जिस क्रम से रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन स्वीकृत किये गये हों। और भविष्य में की जानेवाली प्रविष्टि में अर्हताओं आदि में जोड़ने एवं परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त जगह छोड़ दी जायेगी। पंजी का प्रत्येक पृष्ठ और विनिर्दिष्ट कर रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर होगा। इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक पशु चिकित्सक का पासपोर्ट आकार का अद्यतन फोटो उपबंधित जगह पर चिपका दिया जायेगा।

47. रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना—रजिस्ट्रार प्रत्येक पशु चिकित्सा व्यवसायी के रजिस्ट्रीकरण के बाद रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सक को प्रपत्र संख्या 12 में रजिस्ट्रीकरण की प्रमाण-पत्र निर्गत करेगा जो पशु चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा अपने व्यवसाय के परिसर में समुचित तथा यथोचित रूप से प्रदर्शित कराया जायेगा।

48. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति का निर्गमन—रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के खो जाने या नष्ट हो जाने पर उसका धारक उस समय के दौरान जिस समय तक के लिए वह प्रमाण-पत्र विधिमान्य हो, किसी भी समय अधिनियम की धारा 54 के अधीन विहित शुल्क के रूप में (मात्र 10 रुपये) का भुगतान करके प्रपत्र संख्या-13 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति के लिए रजिस्ट्रार के पास आवेदन कर सकेगा। रजिस्ट्रार का अपना समाधान हो जाने पर प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति देगा। इस नियम के अधीन निर्गत प्रमाण-पत्र पर दूसरी प्रति चिन्हित कर दिया जायेगा।

49. औपबंधिक रजिस्ट्रीकरण—

(1) परिषद् डिग्री हेतु शैक्षणिक योग्यता के पूरा करनेवाले वैसे स्नातकों को औपबंधिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण निर्गत करेगी।

(2) किसी स्नातक को औपबंधिक प्रमाण-पत्र के बिना इन्टरनी।हाउसमैन के रूप में योगदान देने की अनुमति न दी जायेगी।

(3) स्नातक, रजिस्ट्रार के पास औपबंधिक रजिस्ट्रकरण प्रमाण-पत्र के लिए प्रपत्र संख्या 10 में प्राचार्य या पशुचिकित्सा महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष के माध्यम से जहां से अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरा किये हों, आवेदन करेगा। आवेदन-पत्र पर बड़े अक्षरों में "औपबंधिक रजिस्ट्रीकरण हेतु" अंकित रहेगा।

(4) औपबंधिक प्रमाण-पत्र प्रपत्र संख्या 12 में निर्गत किया जायेगा जिसमें औपबंधिक प्रमाण-पत्र अंकित रहेगा।

(5) औपबंधिक प्रमाण-पत्र इन्टर्नशिप।हाउसमैनशीप की अवधि के लिए ही वैद्य होगी।

(6) स्नातकों के इन्टर्नशिप।हाउसमैनशीप के पूरा होने के पश्चात् परिषद् में रजिस्ट्रीकरण के लिए विचार किया जायेगा और रजिस्ट्रीकरण आवेदन के साथ औपबंधिक प्रमाण-पत्र को अभ्यर्पित करेगा।

50. रजिस्ट्रीकरण का अन्तरण—

(1) अन्य राज्यों के ऐसे रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्सा व्यवसायी जो इस राज्य में पशुचिकित्सा व्यवसाय करना चाहते हों, अधिनियम की धारा 52 में इस निमित विहित मात्र पन्द्रह रुपये के शुल्क का भुगतान करके अपने राज्य के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ प्रपत्र संख्या-10 में आवेदन-पत्र बिहार राज्य पशुचिकित्सक पंजी में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत करने हेतु आवेदन कर सकेगा। रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकरण के पूर्व अपना समाधान कर लेगा कि उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित नहीं है अथवा किसी कारण से उसे यह प्रतीत हो कि अन्तरण के लिए आवेदन सद्भाव पूर्वक नहीं है, तो वह रजिस्ट्रीकरण अन्तरण आवेदन अस्वीकार कर सकेगा:

(2) जब इस राज्य का रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्सा व्यवसायी अन्य राज्य में पशुचिकित्सा व्यवसाय करना चाहे तो वह मात्र 15 (पन्द्रह) रुपये के शुल्क का भुगतान कर के प्रपत्र संख्या 14 में अपने नाम के अन्तरण के लिए आवेदन कर सकेगा। रजिस्ट्रार ऐसे आवेदन पर समुचित जाँच करने के बाद राज्य पशुचिकित्सक पंजी से उस व्यक्ति का नाम हटा देने की स्वीकृति देगा और अन्य राज्य में उसके नाम की प्रविष्टि हेतु अनुशंसा करेगा।

(3) रजिस्ट्रार ऐसे आवेदन पर अनुशंसा करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेगा कि परिषद् के सभी बकाये, यदि कोई हो, आवेदक द्वारा चुका दिये गये हों।

(4) रजिस्ट्रार गहन समीक्षा के उपरांत अंतरण के मामलों का विनिश्चय करेगा और प्रपत्र संख्या 12 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र निर्गत करेगा। परन्तु यह कि पशुचिकित्सा व्यवसायी आवेदक अहित आचरण का दोषी और सजा प्राप्त पाया जाये अथवा उसका नाम किसी व्यतिक्रम के कारण राज्य पशु चिकित्सक पंजी से हटाया गया हो तो उस मामले में रजिस्ट्रार परिषद् के समक्ष सम्पूर्ण तथ्यों को रखेगा और परिषद् सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार करेगी तथा व्यवसायी पशुचिकित्सक आवेदक की सुनवाई को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करके अन्तिम निर्णय लेगी।

51. रजिस्ट्रीकरण, नवीकरण आदि—

(1) ऐसे रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी जिनके नाम पंजी से रद्द या हटाये नहीं गये हों, रजिस्ट्रीकरण की तिथि से पांच वर्षों के लिये यथा विहित अधिनियम की धारा-48 के अधीन विधिमान्य होंगे।

(2) अपने रजिस्ट्रीकरण का नवीकृत कराने का इच्छुक पशु चिकित्सा व्यवसायी पाँच वर्षों के पूरा होने के कम से कम दो माह पूर्व अधिनियम की धारा 48 में इस निमित्त विहित मात्र 15 (पन्द्रह रुपये की नवीकरण शुल्क के साथ प्रपत्र संख्या 15 में आवेदन रजिस्ट्रार के पास देगा।)

(3) रजिस्ट्रार ऐसे पशु चिकित्सा व्यवसायी को देय तिथि के पूर्व नवीकरण शुल्क के भुगतान हेतु नोटिस दे सकेगा। यदि पशु चिकित्सा व्यवसायी नवीकरण शुल्क देय तिथि तक जमा नहीं करते हैं तो एक रुपये प्रति दिन की दर से भुगतान की तिथि तक विलम्ब शुल्क लिया जायगा जो रजिस्ट्रीकरण नवीकरण की तिथि के पश्चात नहीं होगा और उनका नाम पंजी से हटा दिया जायेगा ;

परन्तु यह कि उस प्रकार हटाये गये नाम अधिनियम की धारा 48 के अधीन मात्र 15 (पन्द्रह) रुपये केवल सामान्य नवीकरण शुल्क के अतिरिक्त अधिनियम की धारा 50 में इस निमित्त विहित मात्र 25 (पचीस) रुपये विहित शुल्क का भुगतान करके प्रपत्र संख्या 16 में पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा आवेदन करने पर पंजी में पुन: दर्ज किया जा सकेगा।

52. राज्य पशु चिकित्सक पंजी के प्रतियों की आपूर्त्ति---रजिस्ट्रार, प्रपत्र संख्या 17 में रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी की मांग पर मात्र 10 (दस) रुपये के विहित शुल्क के भुगतान पर पंजी की मुद्रित प्रति आपूरित करेगा।

53. व्यवसायी पंजी में प्रविष्टियां---व्यवसायी पंजी में निम्नलिखित प्रविष्टियां वर्षवार दर्ज की जायगी:---

(क) व्यवसायियों की कुल संख्या;

(ख) वर्ष के दौरान रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों की संख्या;

(ग) पंजी में रद्द किये गये भिन्न व्यवसायियों की संख्या

(घ) पंजी से रद्द किये गये व्यवसायियों की संख्या और नियम जिसके अधीन वह रद्दीकरण किया गया हो;

(ङ) मृत्यु अथवा अन्यथा निरहर्ता प्राप्ति के कारण हटाये गये व्यवसायियों की संख्या।

54. पंजी के नामों का रद्दीकरण---(1) परिषद् ऐसे किसी भी व्यवसायी का नाम पंजी से रद्द कर सकेगी जो परिषद् द्वारा अपेक्षित ऐसी जानकारी रजिस्ट्रार को परिषद द्वारा निश्चित की गयी कालावधि के भीतर न देता हो।

(2) परिषद् ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों के नाम पंजी से रद्द कर सकेगी जिसका नाम किसी विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा महाविद्यालय अथवा अन्य निकाय जिससे वह व्यक्ति मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा की अर्हता प्राप्त की हो, के पंजी अथवा अभिलेख के क्रमांक से उस आधार पर हटा दिया गया हो जिस आधार पर वह रजिस्ट्रीकृत हुआ था और उस व्यवसायी को निर्गत कोई भी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र इस रद्दीकरण की तिथि को स्वत: रद्द समझा जायेगा।

भाग VII

शुल्क और भत्ते

55. प्रभार्य शुल्क और प्रपत्र का मूल्य---(1) अधिनियम में संशोधन अथवा उपान्तर के अधीन रहते हुए नीचे विनिर्दिष्ट विषयों के लिये निम्नलिखित प्रभार्य होंगे:---

(क) प्रथम रजिस्ट्रीकरण के लिये 25 (पच्चीस) रुपये ;

(ख) रजिस्ट्रीकरण नवीकरण/अन्तरण के लिये 15 (पन्द्रह) रुपये;

(ग) राज्य पशु चिकित्सक पंजी में पुन: स्थापन के लिये 25 रुपये;

(घ) नवीकरण शुल्क के न भुगतान होने के कारण हटाये जाने के बाद पंजी में नाम पुन: दर्ज के लिये 15 रुपये;

(ङ) राज्य पशु चिकित्सक पंजी की मुद्रित प्रति निर्गत करने के लिये 10 रुपये;

(च) द्वितीयक प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिये 10 रुपये

(2) राज्य सरकार के परामर्श से परिषद् द्वारा उपान्तर अथवा संशोधन के अधीन रहते हुए प्रपत्रों के मूल्य निम्न अनुसार होंगे:—

प्रपत्र संख्या	मूल्य	नियम संख्या
2	10	7(1)
3	10	8(2)
4	50	13(1)
10	250	48, 49(3)
13	100	48
14	100	50(2)
15	200	51(2)
16	150	51(3)
17	75	52
19	250	84
20	50	94

56. बैठक में शामिल होने के लिये भत्ते—(1) परिषद् के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के साथ-साथ समितियों के सदस्यों को यदि वे सरकारी सेवक हों तो परिषद् और समितियों की बैठक में भाग लेने के लिये जिस स्रोत से वे अपने वेतन की निकासी करते हैं उसी स्रोत से सरकार के नियमावली के अधीन अनुमान्य यात्रा-भत्ता, दैनिक भत्ते की निकासी करेंगे।

(2) अध्यक्ष और परिषद् के अन्य सदस्यों के साथ-साथ समितियों को जो सरकारी सेवक न हों परिषद् की निधि से बिहार सरकार के श्रेणी 1 के पदाधिकारियों के समान अनुमान्य यात्रा-भत्ता तथा दैनिक भत्ता भुगतेय होगा।

(3) बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के लिये राज्य सरकार के नियमानुसार चाय तथा अल्पाहार का उपबंध किया जायेगा।

57. पंजी से नाम का हटाया जाना—परिषद् के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यवसाय परिषद् द्वारा अथवा परिषद् द्वारा गठित समिति अथवा उप-समिति द्वारा जांच के बाद यदि निम्नलिखित में से किसी आधार पर अधिनियम की धारा 49 के अधीन दोषी पाया जाय:—

(क) कि उसका नाम राज्य पशु चिकित्सा पंजी में गलत दुर्व्यपदेशन अथवा किसी तात्विक तथ्य के छिपाने के कारण प्रविष्टि किया है; या

(ख) कि वह नैतिक अधमता अन्तर्वलित करने वाले अथवा कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिये सिद्ध ठहराया गया है या वह कोई वृतिक संबंधी गलत आचरण के लिये दोषी ठहराया गया है या वह वृतिक संबंधी गर्हित आचरण के लिये दोषी पाया गया है या उसने वृतिक आचरण और शिष्टाचार का मानक तथा आचार संहिता (विनियम 1992) के अनुरूप की जायेगी। किन्तु परिषद् द्वारा पारित आदेश तबतक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उस तारीख के बाद तीन माह बीत न जाये अथवा कोई अपील, यदि कोई हो, अंतिम रूप से निपटा न ली जाय जो भी तिथि बाद का हो, जैसा कि अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (5) में विहित है।

भाग-VIII

वित्त और लेखा

58. वित्तीय वर्ष—इस नियमावली के अधीन वित्त और लेखा के प्रयोजन से वित्तीय वर्ष पहली अप्रील को आरम्भ और अगले वर्ष 31वीं मार्च को अन्त होगा।

59. परिषद् के वित्तीय स्रोत—परिषद् ऐसे वार्षिक अनुदान जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाय, रजिस्ट्रीकरण के देय प्रमाण पत्र शुल्क इसके प्रपत्रों, प्रतिवेदनों, प्रकाशनों के विक्रय आगम तथा अन्य विधि प्राप्तियों से प्राप्त करेगी। परिषद् भारतीय और विदेशी संगठनों और लिमिटेड कम्पनियों से उपकृति और अंशदान भी प्राप्त कर सकेगी। ये सभी प्राप्तियां परिषद् की लेखा में जमा की जायेगी।

60. शुल्क—परिषद् पशु चिकित्सा व्यवसायियों से ऐसे शुल्क प्राप्त कर सकेगी जो नियम 55 के अन्तर्गत विहित हैं।

61. परिषद का वित्तीय सम व्यवहार।जब तक राज्य सरकार का कोई अन्यथा आदेश न हो परिषद् का बैंकर भारतीय स्टेट बैंक अथवा कोई अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक होगा। परिषद् के सभी निधियों से रजिस्ट्रार तथा कोषाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर के अधीन चेक के माध्यम से निकासी की जायेगी। चेक बुक रजिस्ट्रार की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहेगी।

62. निधि का विनिधान—परिषद् की अधिशेष निधि का विनिधान रजिस्ट्रार तथा कोषाध्यक्ष की अनुशंसा तथा परिषद् की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित रीति से की जायेगी:—

(1) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के कथन पत्र, स्टॉक अथवा अन्य प्रतिभूतियों में; अथवा
(2) रेलवे अथवा अन्य कम्पनियों के स्टौक, डिवेन्चर वाहिस्सों में जिसका ब्याज किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा गारन्टीकृत हो; अथवा
(3) भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमों में; अथवा
(4) समय-समय पर राज्य सरकार के परामर्श से परिषद् अपने निधि का विनिधान नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट एवं बैंकों के शेयर इत्यादि के क्रय में करेगी।

63. प्राप्तियों की सुरक्षित अभिरक्षा—परिषद् की निधि के सभी विनिधान परिषद् के नाम से किये जायेंगे। कोषाध्यक्ष सभी प्राप्तियों और कागजात का अभिरक्षक होगा तथा रजिस्ट्रार वर्ष में कम-से-कम एक बार या जब जैसे अपेक्षित हो उसे सत्यापित कर लेगा और सत्यापन का प्रमाण-पत्र उसके द्वारा पंजी पर अभिलिखित किया जायगा और अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा।

64. प्राक्कलन की तैयारी—कोषाध्यक्ष रजिस्ट्रार के परामर्श से अगले वित्तीय वर्ष के लिये एक विस्तृत बजट प्राक्कलन तैयार करेगा और प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर के पूर्व इस प्रयोजनार्थ होने वाली बैठक में परिषद् को मंजूरी के लिये इसे प्रस्तुत करेगा। परिषद् द्वारा अनुमोदित किये गये बजट प्राक्कलन की एक प्रति 31 दिसम्बर तक राज्य सरकार के अनुमोदन के लिये भेज दी जायेगी।

65. स्वीकृति की शक्ति—रजिस्ट्रार को प्रत्येक मामले में मात्र 500 (पांच सौ) रुपये तक विधि एवं आकस्मिक प्रकृति के व्यय की मंजूरी देने की शक्ति होगी। पांच सौ रुपये से अधिक परन्तु 1,500 रुपये के अन्दर व्यय के हर मामले अध्यक्ष की स्वीकृति की आवश्यकता होगी और मात्र 1,500 (एक हजार पांच सौ) रुपये से अधिक के लिये परिषद् की स्वीकृति आवश्यक होगी।

66. व्यय—परिषद् की कोई भी रकम ऐसे मद पर खर्च नहीं की जायगी जो यथास्थिति, परिषद् के अध्यक्ष या रजिस्ट्रार द्वारा सम्यक रूप से स्वीकृत न की गयी हो।

67. पुनर्विनियोग—अध्यक्ष को रजिस्ट्रार के परामर्श से परिषद् के अनुमोदन के अधीन रहते हुए कुल स्वीकृत किये गये प्राक्कलन के अन्तर्गत एक विनियोग निधि से अन्य विनियोग निधि की इकाई में पुनर्विनियोग करने की शक्ति होगी ;

परन्तु वह किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये दी गयी निधि, निधि देने वाले प्राधिकारी अथवा व्यक्ति की पूर्व अनुमति के बिना पुनर्विनियोजित नहीं की जायेगी। जहां तक परिषद् की प्रतिभूतियों का संबंध है, पुनर्विनियोग की शक्ति परिषद् के पास ही रहेगी।

68. स्थायी अग्रिम—रजिस्ट्रार के पास मात्र 1,000 (एक हजार) रुपये की स्थायी अग्रिम रहेगा।

69. अनुप्रमाणन अधिकारी—रजिस्ट्रार परिषद् के सदस्य तथा कर्मचारियों के यात्रा, विराम और अन्य भत्तों के लिये तथा अध्यक्ष, रजिस्ट्रार के लिये अनुप्रमाणन अधिकारी होगा।

70. लेखा पंजी---(1) परिषद् की निम्नलिखित सेवा पंजी अनुरक्षित की जायेगी:---

(क) रोकड़ बही;
(ख) प्रतिभूति पंजी;
(ग) उपस्कर। भंडार की स्टौक पंजी;
(घ) चेक बुक पंजी;
(ङ) छुट्टी, पेंशन अंशदान पंजी;
(च) स्थायी अग्रिम पंजी;
(छ) साहाय्य अनुदान पंजी;
(ज) वेतन पंजी;
(झ) वार्षिक लेखा पंजी;
(ञ) वर्गीकृत सारांश पंजी;
(ट) पत्र प्राप्ति पंजी;
(ठ) पत्र निर्गत पंजी;
(ड) स्टाम्प पंजी;
(ढ) गार्ड फाईल;
(ण) आदेश पुस्तिका;
(त) आवश्यकतानुसार कोई अन्य पंजी।

(2) उपर्युक्त पंजियां राज्य सरकार के कार्यालयों में उपयोग में लायी जाने वाली तालिका और रीति के अनुसार रखी जायगी और अनुरक्षित की जायगी।

(3) परिषद् के लेखा का वार्षिक अंकेक्षण महालेखाकार, बिहार द्वारा किया जायेगा।

(4) वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन परिषद् के समक्ष रखा जायेगा और इसके अनुमोदन के बाद अध्यक्ष के हस्ताक्षर के अधीन परिषद् के प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार को भेज दिया जायेगा।

71. वार्षिक अनुदान---राज्य सरकार समय-समय पर परिषद् को वार्षिक अनुदान उपलब्ध करायेगी।

भाग-IX

परिवाद निपटारे का ढंग, नाम का हटाया जाना तथा पुन: स्थापन आदि

72. अधिनियम की धारा 49 के उपबंधन प्रतिवेदन पर कार्रवाई---जब कभी लिखित या मौखिक अथवा अन्य स्रोतों से परिषद् के कार्यालय में यह सूचना पहुंचे कि किसी पशु चिकित्सा व्यवसायी ने अधिनियम की धारा 49 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है तो कार्रवाई की निम्नलिखित प्रक्रिया होगी:---

(1) जब कभी लिखित सूचना हो तो रजिस्ट्रार उसका सारांश तैयार करेगा और अपनी टिप्पणी के साथ कोई निर्णय लेने हेतु परिषद् के समक्ष रखेगा;

(2) जब कभी कोई परिवाद मौखिक रूप से किया जाय तब रजिस्ट्रार उसे लिख लेगा और उस पर परिवादी का हस्ताक्षर प्राप्त कर लेगा और एक सारांश तैयार करेगा तथा अपनी टिप्पणी के साथ कोई भी निर्णय लेने हेतु परिषद् के समक्ष रखेगा;

(3) जब कभी किसी अन्य स्रोत से परिवाद प्राप्त हो तो रजिस्ट्रार ऐसे परिवाद की प्राप्ति के बाद एक औपचारिक जांच करेगा और यदि वह उसमें कोई सार पाता है हो तो वह परिवाद का एक सारांश तैयार करेगा और अध्यक्ष के साथ विमर्श करेगा। यदि अध्यक्ष द्वारा परामर्श दिया जाय तो रजिस्ट्रार तदनुसार निर्णय के लिये परिषद् के समक्ष उसे रखेगा।

73. परिवाद का ढंग---(1) लिखित रूप में किया गया परिवाद रजिस्ट्रार।अध्यक्ष को संबोधित होगा और परिवाद के आधार का विवरण दिया जायगा तथा मामले के तथ्यों के संबंध में एक घोषणा उसके साथ संलग्न होगी। जब घोषणा में कथित तथ्य परिवादी के व्यक्तिगत जानकारी में न हो तो जानकारी के स्रोत और उसकी सत्यता में घोषणाकर्त्ता के विश्वास के लिये आधार का पूर्ण रूप से विवरण दिया जायेगा।

(2) मौखिक रूप से किये गये परिवाद जिन्हें रजिस्ट्रार द्वारा लिखा गया हो, में परिवाद के आधार भी अन्तर्विष्ट रहेंगे। रजिस्ट्रार परिवाद के तथ्यों के बारे में परिवादी से घोषणा-पत्र भी प्राप्त करेगा और जहां कथित तथ्य परिवादी के व्यक्तिगत जानकारी में न हो, तो घोषणाकर्त्ता द्वारा सूचना के स्रोत और सत्यता पर विश्वास करने के कारण को अपनी घोषणा में अवश्य निगमित करेगा।

74. सारांश और दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना––(1) जहां परिवाद दायर किया जाना हो, वहां परिवाद के सारांश और मामले से संबंधित सभी अन्य दस्तावेज रजिस्ट्रार द्वारा परिषद् को प्रस्तुत किये जायेंगे। और यदि उचित समझें तो संबंधित पशु चिकित्सा व्यवसायी से स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु रजिस्ट्रार को अनुदेश दे सकेंगी।

इसके बाद दस्तावेज स्पष्टीकरण सहित परिषद् को निर्देशित कर दिये जायेंगे जो उस पर विचार करेगी और अपनी राय देगी तथा उसे आगे अन्वेषण करवाने एवं साक्ष्य लेने की शक्ति होगी और यदि आवश्यक समझे तो परिषद उस विषय पर विधिक राय ले सकेगी।

(2) यदि परिषद् की यह राय हो कि प्रथम दृष्टया मामला न बनता है तो परिवाद पर आगे कार्रवाई नहीं की जायेगी और रजिस्ट्रार परिवादी तथा संबंधित पशु चिकित्सा व्यवसायी को परिषद् के निर्णय की जानकारी दे देगा।

(3) यदि परिषद् की यह राय हो कि परिस्थितियों के आलोक में परिवादी को चेतावनी का पत्र दिया जाना चाहिये तो परिषद् को ऐसा करने की शक्ति होगी।

(4) यदि परिषद् का यह विचार हो की यह मामला ऐसा है जिससे लिए जांच आवश्यक है तो परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से गठित जांच समिति के पास निस्तार हेतु उसे निर्देशित कर देगी।

75. जांच की प्रक्रिया––यदि नियम 74 के उप-नियम (4) के अधीन जांच निर्देशित की गयी हो तो रजिस्ट्रार प्रपत्र संख्या 18 में लिखित रूप में एक सूचना जांच समिति की ओर से जांच की तिथि से कम-से-कम दो सप्ताह पूर्व संबंधित पशु चिकित्सा व्यवसायी के पते पर निबंधित डाक से निर्गत करेगा। सूचना में आरोपों के प्रवत्ति तथा विशिष्टियां विनिर्दिष्ट रहेंगी और उसमें वह तिथि, समय तथा स्थान भी अन्तविष्ट रहेगा, जहां पर जांच समिति जांच कार्यवाही करेगी। उपर्युक्त नोटिस के माध्यम से पशु चिकित्सा व्यवसायी से उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को स्वयं जांच समिति के समक्ष उपस्थित होकर लिखित रूप में अथवा किसी अधिवक्ता के माध्यम से स्पष्ट करने हेतु भी कहा जायेगा।

76. दस्तावेजों की आपूर्त्ति––प्रत्येक मामले में जिसमें परिषद् का वह संकल्प हो कि जांच संस्थित की जाय और तदनुसार जांच के लिये सूचना निर्गत की जाय। प्रत्येक पक्षकार यथास्थिति, अपनी प्रतिरक्षा या जवाब के परियोजनार्थ स्वयं हस्ताक्षर करके अथवा अपने अधिवक्ता के हस्ताक्षर से उस प्रयोजनार्थ लिखित रूप में निवेदन पर पक्षकारी द्वारा दिये गये दस्तावेजों की प्रतिलिपि की आपूर्त्ति रजिस्ट्रार द्वारा करवाने का हकदार होगा।

77. स्पष्टीकरण आदि कैसे निपटाया जायेगा––सूचना निर्गत होने की तिथि और आरोप की सुनवाई के लिये नियत तिथि के बीच पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा कोई स्पष्टीकरण, साक्ष्य या अग्रसारित कथन या दिया गया आवेदन जांच समिति द्वारा उसी रीति से निपटाया जायेगा जिसे वह उचित समझे।

78. दस्तावेज का टंकित या चक्र मुद्रित किया जाना––सभी तात्विक दस्तावेज जो मामले के संबंध में साक्ष्य के रूप में जांच समिति के समक्ष दिये जायेंगे, टंकित या चक्र मुद्रित होंगे और उसकी एक प्रति मामले की सुनवाई के पूर्व पक्षकारों को दी जायेगी।

79. अधिवक्ता की नियुक्ति––जांच समिति द्वारा जांच के दौरान परिवादी और पशु चिकित्सा व्यवसायी स्वयं उपस्थित हो सकेगा अथवा यदि वे चाहें तो अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व करने की स्वीकृति उन्हें दी जायेगी।

80. जांच समिति द्वारा अपनायी जानेवाली प्रक्रिया––जहां परिवादी स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो वहां कार्यविधि का क्रम निम्नलिखित होगा:––

(1) रजिस्ट्रार जांच समिति के समक्ष पशुचिकित्सा व्यवसायी को सम्बोधित जांच की नोटिस प्रस्तुत करेगा।

(2) इसके बाद परिवादी स्वयं अथवा अपने विधिक प्रतिनिधि द्वारा मामले का कथन करने और उसके समर्थन में अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

(3) इसके बाद रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्सा व्यवसायी को स्वयं या अपने विधिक प्रतिनिधि के द्वारा अपने मामलें का कथन और इसके समर्थन में अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

(4) पक्षकारों द्वारा साक्ष्य समाप्ति के बाद यदि वांछित हो तो पहले परिषद् और उसके बाद पशु चिकित्सा व्यवसायी की बहस सुनी जायेगी।

81. प्रक्रिया, जब परिवाद लिखित रूप में न हो अथवा परिवादी उपस्थित न हों---(1) जहां लिखित परिवाद दाखिल न किया गया हो वहां रजिस्ट्रार परिवादी का मौखिक कथन लिख लेगा और उसका हस्ताक्षर प्राप्त कर लेगा और उसे जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जांच समिति की ओर से रजिस्ट्रार उसमें लगाये गये सम्पूर्ण आरोपों का विवरण देते हुए एक नोटिस संबंधित पशु चिकित्सा व्यवसायी को निर्गत करेगा।

(2) जहां परिवादी उपस्थित नहीं होता हो और जांच समिति का यह विचार हो कि परिवाद में कोई ऐसा सार तत्व है तो वह उस विषय का अन्वेषण करेगी। यदि जांच समिति परिवाद के संबध में अन्यथा विचार करे तो उसे संक्षिप्त रूप से खारिज कर देगा।

82. जांच समिति का प्रतिवेदन---जांच की समाप्ति के बाद जांच समिति संबंधित अभिलेख के साथ परिषद् को एक विस्तृत प्रतिवेदन देगी जिसके पश्चात् परिषद् उसकी छानबीन करेगी और सम्यक विचार-विमर्श के बाद नियम 57 में निहित प्रावधानों के तहत निर्णय होगी, जो भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (पशु चिकित्सा व्यवसायियों के लिये वृत्तिक आचरण, और शिष्टाचार का मानक तथा आचार संहिता) अधिनियम, 1992 समय-समय पर जब और जैसे उपान्तरित के अनुरूप ही परिषद् द्वारा लिये गये निर्णय तथा निर्देशित, रजिस्ट्रार उसे लागू करेगा।

83. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का अभ्यर्पण---कोई भी रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी जिसका नाम इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन पंजी से हटाया गया या निलम्बित किया गया हो अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और नवीकरण का प्रमाण-पत्र यदि कोई हो, रजिस्ट्रार को तुरन्त अभ्यर्पित कर देगा और इस प्रकार हटाया गया नाम राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जायगा। यदि वह अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अथवा नवीकरण प्रमाण-पत्र या दोनों बिना प्रर्याप्त कारण के अभ्यर्पित करने में असमर्थ हो तो वह अधिनियम की धारा 58 के अधीन दंड का भागी होगा।

84. नामों का प्रत्यावर्त्तन---कोई रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्सा व्यवसायी जिसका नाम अधिनियम की धारा 49 के अधीन पंजी से स्थायी रूप से अथवा किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये हटा दिया गया हो तो वह मात्र 25.00 (पच्चीस) रुपये की अपेक्षित शुल्क के भुगतान पर प्रपत्र संख्या 19 में अपने नाम प्रत्यावर्त्तन के लिये आवेदन कर सकेगा परिषद् ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर और यदि उसे पर्याप्त कारण प्रतीत हो तो किसी भी समय यह आदेश दे सकेगी कि ऐसे व्यवसायी का नाम प्रत्यावर्तित किया जाय। यह निर्णय संबंधित व्यवसायी को संसूचित कर दिया जायेगा और उसके द्वारा पुनर्विष्टि के रूप में मात्र 15.00 (पन्द्रह) रुपये जमा करने पर उसका नाम प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

यदि व्यवसायी के विरुद्ध परिषद् द्वारा निर्णय लिया जाता है तो उसे संसूचित कर दिया जायेगा और यह आदेश तबतक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (3) में उपबंधित तीन माह की समाप्ति न हो जाय।

जहां व्यवसायी अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (4) और (5) के अधीन कोई अपील करे एवं उसमें सफल हो जाये तो अपील में लिये गये निर्णय के अनुसार संबंधी संसूचना पर उसका नाम पुर्नप्रविष्टी के रूप में मात्र 15.00 (पन्द्रह) रुपये जमा किये जाने पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

85. समिति द्वारा अभिलेख मांग करने की शक्ति---इस नियमावली में निर्देशित समिति को रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्सा व्यवसायी निरीक्षण के लिये मूलडिग्री डिप्लोमा लाईसेंस अथवा प्रमाण-पत्र और किसी अन्य व्यक्ति से भी ऐसे अन्य दस्तावेजों की मांग करने की शक्ति होगी जिसे वह जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक विचार करे।

भाग-X

सेवा शर्त्त

86. सेवा का गठन---इस नियमावली के परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये पदों परिषद् की सेवा गठित होगी राज्य सरकार समय-समय पर परिषद् के लिये विभिन्न पदों का सृजन परिशिष्ट-1 की कॉलम 5 में सन्निहित वेतनमान में करेगी। परिषद् द्वारा नियुक्त सभी अधिकारी और कर्मचारी अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (3) के अधीन लोक सेवक समझे जायेंगे।

87. नियुक्ति, प्रोन्नति और प्रतिनियुक्ति के लिये बंधेज और शर्त्त---

(1) सभी नियुक्तियां राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये पदों के विरुद्ध परिषद् द्वारा की जायेगी।
(2) नियुक्ति की योग्यता का बंधेज और अन्य सेवा शर्त्तें वही होगी जो राज्य सरकार के कार्मचारियों के समान श्रेणी के पदों के लिये है।

(3) विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से विहित सम्यक अर्हता प्राप्त सेवा निवृत्त व्यक्ति रजिस्ट्रार को छोड़कर अन्य पदों पर सेवा निवृति के बाद सेवा की स्वीकृति के लिये राज्य सरकार द्वारा विहित नियमों के अधीन रहते हुए वर्ष वार अधीक से अधिक दो वर्षों के लिये नियुक्त किया जा सकेगा ।

(4) राज्य सरकार परिषद् की लिखित पूर्व सहमति के अधीन रहते हुए प्रतिनियुक्ति के आधार पर परिषद् में सेवा करने हेतु अपने अधिकारी एवं कर्मचारी को प्रतिनियुक्त कर सकेगी ।

88. रजिस्ट्रार की नियुक्ति---राज्य सरकार अधिनियम की धारा 42 के उप-धारा (5) के अधीन दो वर्षों की कालावधि के लिये राज्य पशु चिकित्सा परिषद् हेतु एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेगी । रजिस्ट्रार उप-रजिस्ट्रार अधीक्षक (तकनीकी) एवं कोषाध्यक्ष के पदों पर बिहार पशुचिकित्सा परिषद् नियुक्ति, सेवा शर्त्तों एवं वेतनमानों में वैसा ही करेगी जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा विहित होगी जो कि नियम-88 के अन्तर्गत एनेक्सेर-2 में सन्निहित है ।

89. यात्रा एवं दैनिक भत्ते---सेवा के सदस्य को बिहार राज्य के भीतर या बाहर परिषद् के कार्य-कलापों से संबंधित रजिस्ट्रार के मामले में अध्यक्ष की अनुमति से और अन्य के मामले में रजिस्ट्रार की अनुमति से की गयी यात्राओं के लिये समरूप श्रेणी के पदों हेतु राज्य सरकार के कर्मचारियों को लागू नियमों के अनुसार यात्रा एवं दैनिक भत्ते भुगतेय होंगें ।

90. कर्त्तव्यों का समनुदेशन---कर्मचारी के कर्त्तव्य वही होंगे जो समय-समय पर रजिस्ट्रार द्वारा समनुदेशित किये जायें ।

91. कर्मचारियों को आवास का आवंटन---सेवा के सदस्यों को परिषद् द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट भाड़े के भुगतान पर उनकी श्रेणी के अनुसार जब और जैसे आवास उपलब्ध हो आवंटित किया जायेगा अथवा उसके बदले सेवा के सदस्यों को उसी मुख्यालय में समरूप श्रेणी के पदों के राज्य कर्मचारियों को देय दर से मकान भाड़ा भत्ता भुगतेय होगा ।

92. प्रमाण-पत्र का हस्ताक्षर किया जाना---तत्समय प्रवृत किसी विधि में अन्तर्विष्ट बात के होते हुए भी बिहार पशुचिकित्सा परिषद् में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति---

(क) पशु चिकित्सा अथवा शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र पशुचिकित्सा लोक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र को किसी अधिनियम अथवा नियम के अधीन हस्ताक्षरित या अभिप्रमाणित करने हेतु वांछित हो, हस्ताक्षरित अथवा अभिप्रमाणित नहीं करेगा या

(ख) पशु चिकित्सा विधान संबंधी विषय पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45 के अधीन विशेषज्ञ के रूप में अभिसाक्ष्य देने हेतु अर्हता प्राप्त नहीं होगा ।

भाग 2

विधि

93 निष्ठा शपथ----प्रत्येक व्यावसायिक सदस्य को पशुचिकित्सा विज्ञान के व्यवसाय और जंतु संसार के कल्याण के प्रति निष्ठा की शपथ प्रपत्र संख्या-20 में लेनी होगी ।

94. राज्य पशुचिकित्सा परिषद्, द्वारा भेजी जानेवाली सूचनायें---राज्य पशुचिकित्सा परिषद, जब और जैसी मांग हो, राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन अपने कार्यवृतों की प्रतियों कार्यकारिणी समिति के कार्य वृत और सेवा का सारांश भेजेगी और उसकी प्रति भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् को अग्रसारित करेगी ।

95. प्रपत्रों में संशोधन---रजिस्ट्रार, जबतक परिषद गठित न हो जाये या ऐसी आकस्मिकता उत्पन्न हो तो, अधिनियम अथवा नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु इस नियमावली से संलग्न विहित प्रपत्रों में आवश्यक जोड़ कर सकेगा और परिषद के गठन के बाद परिषद को विहित प्रपत्रों में संशोधन करने की शक्ति होगी ।

96. कल्याण योजनायें---परिषद स्वयं अथवा राज्य सरकार से विमर्श करके अथवा उसकी सलाह पर अपने निबंधित सदस्यों के लिये और पक्षी जगत के लिये कल्याण योजनायें लागू करेगी ।

97. प्रशिक्षण एवं आवृत्तिवार्त्ता---परिषद् राज्य सरकार को अपने सदस्यों के लिये आवश्यक समझे जाने वाले प्रशिक्षण (आवृतिवार्त्ता) आयोजित करने हेतु सलाह देगी राज्य सरकार के अनुरोध एवं वित्त सम्पोषण पर परिषद द्वारा समय-समय पर कृषकों के लिये भी प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे ।

परिशिष्ट-I

(नियम 86)

क्रमांक	पदनाम	पदों की सं०	अर्हतायें	वेतनमान
1	2	3	4	5
				रु०
1	प्रधान लिपिक	.. 1	5 वर्षों का अनुभव एवं वैसा ही जैसा राज्य सरकार के सचिवालय स्तर के ।	1400/2600
2	सहायक	.. 4	वैसा ही जैसा राज्य सरकार के सचिवालय स्तर के ।	1200-1800
3	आशुलिपिक-सह-टंकक	.. 3	तदैव	1320-2040
4	टंकक-सह-लिपिक	.. 2	तदैव	1200-1800
5	चालक।ऑपरेटर---(X)	.. 2	तदैव	975-1540
6	चपरासी।अर्दली	.. 6	तदैव	775-1025
7	चौकीदार	.. 1	तदैव	775-1025
8	झाड़ू कश	.. 1	तदैव	775-1025
9	माली	.. 1	तदैव	800-1150
10	कम्प्युटर ऑपरेटर	.. 1	तदैव	1400-2600
	योग	.. 22 (बाईस)		

परिशिष्ट-II

(नियम-88)

क्रमांक	पदनाम	सेवाशर्त्त एवं वेतनमान	अहता।सीधी नियुक्ति।प्रोन्नति अभियुक्ति
1	रजिस्ट्रार	सेवा शर्त्तों एवं वेतनमानों में वैसा ही करेगी जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा विहित होंगी ।	(1) भारतीय पशुचिकित्सा अधिनियम 1984 1984 का 52) की प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता । (2) राज्य सरकार अथवा परिषद् में कम-से-कम दस वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए ।

2	उप-रजिस्ट्रार	तदैव	(1) भारतीय पशुचिकित्सा अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई मान्यता प्राप्त पशुचिकित्सा अर्हता होनी चाहिये । (2) राज्य सरकार या परिषद में कम-से-कम 7 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होनी चाहिये ।
3	अधीक्षक (तकनीकी)	तदैव	(1) भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम, 1984 (1984 का 52) को प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता होनी चाहिए । (2) अध्ययन अथवा शोध में और पशु चिकित्सा अथवा पशुपालन में कम-से-कम पांच वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होनी चाहिए ।
4	कोषाध्यक्ष	तथैव	(1) भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की प्रथम एवं द्वितीय अनसूची में विनिर्दिष्ट कोई पशु चिकित्सा अर्हता होनी चाहिए । (2) राज्य सरकार या परिषद में पांच वर्षों का लेखा में प्रशासनिक अनुभव होनी चाहिये ।
5	प्रधान लिपिक	तदैव	बिहार सरकार के 50 प्रतिशत प्रोन्नति सचिवालय के अनुसार पाने वाले को ।

प्रपत्र संख्या-1

[(नियम 5(2)]

निर्वाचक नामावली

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 32 (1) (क) के अन्तर्गत निर्वाचक नामावली ।

1. क्रम संख्या—
2. निर्वाचक का नाम एवं पिता का नाम —
3. पूर्ण-स्थायी भत्ता —
4. पत्राचार का पूर्ण विवरण—
5. रजिस्ट्रेशन संख्या एवं तिथि—
6. अभ्युक्ति—

प्रपत्र संख्या—2
[नियम 8 (1)]

मूल्य 10 रु०

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984
(1984 का 52) की धारा 32 (1) (क) के अधीन प्रारूप
निर्वाचक नामावली में कोई नई प्रविष्टि अथवा गलत प्रविष्टि के लिए दावा या आपत्ति करने का प्रपत्र।

सेवा में

रजिस्ट्रार,
बिहार पशु चिकित्सा परिषद्,
पोस्ट-बी०भी० कॉलेज, पटना-14

महोदय,

मैं अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के अन्तर्गत नियमावली के नियम-8 (1) के अधीन आगामी निर्वाचन हेतु तैयार प्रारूप निर्वाचन नामावली के संबंध में नई प्रविष्टि/आपत्ति करता हूं।

1. नाम (बड़े-बड़े अक्षरों में) ——
2. पिता का नाम——
3. स्थायी पता——
4. वर्तमान पता——
5. रजिस्ट्रेशन सं० एवं तिथि——
6. सुधार के आधार——

मैं घोषणा करता हूं कि मैं बिहार राज्य का एक रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी हूं और आगे घोषित करता हूं कि ऊपर दिये गये वृत्त मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान:——

(हस्ताक्षर)

....

तिथि ——

(पूरा नाम)

....

पदनाम

प्रपत्र संख्या—3
[नियम 8 (2)]

मूल्य 10 रु०

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 32 (1) (क) के अधीन प्रारूप निर्वाचक नामावली में समाविष्ट नाम संबंधी आपत्ति करने का प्रपत्र।

सेवा में
रजिस्ट्रार,
बिहार पशुचिकित्सा परिषद्,
पोस्ट-बी०भी०सी० कॉलेज, पटना-14

महोदय,

मैं अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाई गयी नियमावली के अधीन नियम-8 (2) के तहत यह आपत्ति परिषद् के आगामी चुनाव के लिए तैयार की गई प्रारूप निर्वाचक नामावली के नाम सम्मिलित किये जाने के संबंध में दर्ज करता हूं।

1. जिस व्यक्ति से संबंधित हो उसका नाम एवं रजिस्ट्रेशन संख्या——
2. आपत्ति की गयी प्रविष्टि का विवरण——
3. आपत्ति का आधार——

(314) 690 71

4. मैं घोषित करता हूं कि मैं बिहार राज्य का एक रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी हूं और आगे घोषित करता हूं कि ऊपर लिये गये वृत मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

(हस्ताक्षर)

....

(पूरा नाम)
(रजिस्ट्रेशन संख्या एवं तिथि)

स्थान---

तिथि---

वर्तमान पता---

5. मैं घोषित करता हूं कि मैं बिहार राज्य का एक रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसाय हूं और आगे घोषित करता हूं कि ऊपर लिये गये वृत मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है और मेरे द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है।

स्थान---

तिथि---

वर्तमान पता---

(हस्ताक्षर)

....

(पूरा नाम)
(पदनाम)

प्रपत्र संख्या (4)
[नियम (13) (1)

नाम निदेशन-पत्र

मूल्य 50 रु0

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 32(1)(क) के अधीन उम्मीदवार के नाम निदेशन हेतु प्रपत्र।

1. निर्वाचन क्षेत्र का नाम ---

2. उम्मीदवार का पूरा नाम एवं पिता का नाम (बड़े-बड़े अक्षरों में)---

3. पदनाम ---

4. स्थायी पता ---

5. बर्तमान पता ---

6. लिंग --- (स्त्री/पुरुष)

7. रजिस्ट्रेशन संख्या एवं तिथि ---

प्रस्तावक

8. प्रस्तावक का नाम एवं पदनाम एव पता ---
9. रजिस्ट्रेशन संख्या एवं तिथि ---
10. निर्वाचक नामावली का क्रमांक---

(हस्ताक्षर)

समर्थक

11. समर्थक का नाम, पदनाम एवं पता —

12. रजिस्ट्रेशन संख्या एवं तिथि —

13. निर्वाचक नामावली का क्रमांक —

(हस्ताक्षर)

उम्मीदवार द्वारा घोषणा

मैं····(पूरा नाम,) एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि इस नाम निदेशन से सहमत हूं कि मेरे संबंध में ऊपर की गयी सारी सूचनायें सही हैं; कि मैं बिहार राज्य का एक रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्सा व्यवसायी हूं कि, मेरे द्वारा रसीद संख्या··········· दिनांक ··············से मात्र 500.00 (पांच सौ) रुपये जमानत के रूप में जमा किये गये हैं जो इस के साथ संलग्न है।

प्रदान करने का प्रमाण-पत्र

यह नाम निदेशन-पत्र मुझे दिनांक को बजे प्रदान किया गया।

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

································

अनुदेश

1. उम्मीदवार का नाम वैसा ही होना चाहिये जैसा निर्वाचक नामावली में है।

2. नाम निदेशन-पत्र जो निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित समय अथवा उसके पूर्व प्राप्त नहीं होते हैं, स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(परफोरेटेड)

उम्मीदवार को दी जानेवाली रसीद

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार डा०···
का नाम निदेशन-पत्र निर्वाचन क्षेत्र···
के लिए चुनाव लड़नेवाले उम्मीदवार से प्रस्तावक से/समर्थक से दिनांक को बजे प्राप्त किया।

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

स्थान —

तिथि —

(मोहर)

प्रपत्र संख्या 5
[(नियम 18 (3)]
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची
बिहार पशु चिकित्सा परिषद्
पोस्ट-बी०भी० कॉलेज, पटना-14

निर्वाचन क्षेत्र का नाम:—...

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	पिता का नाम	रजिस्ट्रेशन संख्या एवं तिथि।	पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन।
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

वर्णावली के अनुसार

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
मुहर

अंग्रेजी अनुसार

प्रपत्र संख्या—6
नियम-18 (4)
मतपत्र
प्रतिपूर्ण

1. निर्वाचन क्षेत्र का नाम—

2. मतपत्र का क्रमांक—
3. निर्वाचक का नाम—
4. निर्वाचक नामावली में क्रमांक—
5. रजिस्ट्रेशन संख्या—

प्रपत्र संख्या—6
[नियम-18 (4)]

1. निर्वाचन क्षेत्र का नाम—

2-मतपत्र का क्रमांक—

उम्मीदवार का नाम	मतदान चिन्ह हेतु स्थान
1	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	

वर्णावली के अनुसार

प्रपत्र संख्या 7

(नियम-23)

मतदान।मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति

बिहार पशु चिकित्सा परिषद्
पोस्ट-बी०भी० कॉलेज, पटना-14

निर्वाचन क्षेत्र--...

मतदान।मतगणना केन्द्र...

मैं डा०...उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव का उम्मीदवार, एतद द्वारा श्री...की मतदान।मतगणना के निमित्त, अभिकर्त्ता नियुक्त करता हूं।

स्थान-- हस्ताक्षर--

तिथि-- रजिस्ट्रेशन संख्या--

मैं.................................डा०.................................के लिए मतदान।मतगणना अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परिषद् के नियमों।विनियमों का ठीक ढंग से पालन करुंगा तथा निर्वाचन पदाधिकारी।सहायक निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किये गये निर्देशों के विरुद्ध कुछ भी नहीं करुंगा।

स्थान--
तिथि-- मतदान।मतगणना अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर

निदेश--नियुक्ति पत्र दो प्रतियों में निर्वाचन पदाधिकारी को उम्मीदवार अथवा अभिकर्त्ता द्वारा समर्पित किया जायेगा जो उन्हें प्रतिहस्ताक्षरित कर एक प्रति लौटा देगा तथा दूसरी प्रति सुरक्षित रखेगा।

प्रपत्र संख्या 8

(नियम 20)

मतपत्र-लेखा

बिहार पशु चिकित्सा परिषद्,

पोस्ट-बी०भी० कॉलेज, पटना-14

निर्वाचन क्षेत्र का नाम...
मतदान केन्द्र का नाम...

1. प्राप्त मतपत्र..................क्रम संख्या..................से..................तक कुल संख्या
2. अव्यवहृत मतपत्र...
   अर्थात् मतदाता को
   नहीं दिया गया)...

(क) निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर सहित...
(ख) निर्वाचन पदाधिकारी के बिना हस्ताक्षर...

योग (क) + (ख)...

3. मतदान केन्द्र पर व्यवहृत मतपत्र (1-2-3)—
4. निर्गत मतपत्र लेकिन रद्द हो गया
   (क) मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन के फलस्वरूप रद्द किये गये मतपत्र—
   (ख) अन्य कारणों से रद्द किये गये मतपत्र—
   योग (क)-(ख) ....(क्रम संख्या नहीं दिया जाय)

5. मतपेटी में प्राप्त होने वाले मतपत्र की संख्या (3-4-5)

(हस्ताक्षर)
सहायक निर्वाचन पदाधिकारी।

स्थान..............
तिथि..............

(हस्ताक्षर)
निर्वाचन पदाधिकारी।

प्रपत्र संख्या 9
(नियम संख्या 30)
(गिनती किये गये मतों का लेखा)
बिहार पशु चिकित्सा परिषद्
पोस्ट-बी०भी० कॉलेज, पटना-14

उम्मीदवार का नाम	संख्या	कुल वैध मत की संख्या।	अभ्युक्ति
क	1		
ख	2		
ग	3		
घ	4		
ङ	5		
च	6		
छ	7		
ज	8		
झ	9		

1. कुल वैध मतों की संख्या—(एक्स)
2. कुल अवैध मत की संख्या—(वाई)
3. डाले गये मतों की कुल संख्या (एक्स+वाई)
4. कुल प्राप्त मतों की संख्या का मिलान मत पेटी में प्राप्त कुल मतपत्रों की संख्या से प्रपत्र संख्या 8 के मद 5 से किया जाय।

(हस्ताक्षर)
सहायक निर्वाचन पदाधिकारी।

परिणाम

निर्वाचित उम्मीदवार का नाम

स्थान..............

तिथि..............

(हस्ताक्षर)
निर्वाचन पदाधिकारी।

प्रपत्र संख्या 10 मूल्य—250 रु०
[(नियम 43, 49 (3)]

निबंधन हेतु आवेदन-पत्र

बिहार पशु चिकित्सा परिषद्
पोस्ट-बी०भी० कॉलेज, पटना 14

संख्या..................
सेवा में,
रजिस्ट्रार,
बिहार पशुचिकित्सा परिषद्
पटना-14

अभिप्रमाणित फोटो

महोदय,

मेरा निवेदन है कि मेरा नाम, पता एवं अर्हता, जैसा कि इस आवेदन-पत्र में वर्णित है, का रजिस्ट्रीकरण भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के अधीन बिहार पशु चिकित्सा पंजी में कर लिया जाय तथा मुझे रजिस्ट्रीकरण संबंधी प्रमाण-पत्र दिया जाय।

2. मैं सत्यापन के लिए इसके साथ पशु चिकित्सा संबंधी डिग्री।डिप्लोमा की मूल एवं फोटो स्टेट प्रति संलग्न कर रहा हूं। कृपया सम्यक् सत्यापन के पश्चात मूल प्रति लौटा दी जाय।

3. मैं जन्म तिथि के प्रमाण स्वरूप मैट्रीकुलेशन प्रमाण-पत्र की मूल एवं एक फोटो स्टेट प्रति संलग्न कर रहा हूं। कृपया समयक् सत्यापन के पश्चात मूल प्रति लौटा दी जाय।

4. मैं एतद् घोषणा करता हूं कि मैंने बिहार पशु चिकित्सा परिषद् के नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत वर्णित निर्देशों एवं विवरणों को सावधानीपूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है तथा रजिस्ट्रीकरण के पश्चात मैं परिषद् के नियमों एवं विनियमों का पालन करुंगा।

5. मैं इसके साथ उपर्युक्त रजिस्ट्रीकरण के लिए विहित शुल्क मात्र 25 (पच्चीस) रुपये आई०पी०ओ०। वी०डी०।एम०आर० संख्या.............., दिनांक..................इसके साथ संलग्न कर रहा हूं।

6. नियम 43 के प्रावधान के अनुसार मैं अपने फोटो की तीन अतिरिक्त प्रतियां इसके साथ संलग्न कर रहा हूं एवं एक इस प्रपत्र पर चिपकायी गई है।

7. मैं इसके साथ प्रपत्र संख्या 20 में सम्यक रूप से हस्ताक्षरित व्यवसाय के प्रति निष्ठा का शपथ पत्र संलग्न कर रहा हूं।

8. मैं प्रमाणित करता हूं कि इस आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियों, जहांतक मेरी जानकारी एवं विश्वास है, सही है।

आपका विश्वासी
(हस्ताक्षर)

स्थान—
तिथि—

पूरा नाम—
पता—

अनुलग्नक—
(1) प्रमाण-पत्र
(2) तीन फोटो
(3) निष्ठा शपथ पत्र
(4) आई०पी०ओ०।वी०डी०।एम०आर०—

मूल प्रमाण-पत्र वापस पाया।
(हस्ताक्षर)

300/684

66

11. क्या आपको कभी सजा हुई है (यदि हां तो विवरण दें)। हां/नहीं

12. क्या आपका रजिस्ट्रीकरण कभी एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण हुआ है। (यदि हां तो विवरण दें) हां/नहीं

13. क्या कभी आपका नाम पशुचिकित्सा व्यवसायी पंजी से हटाया गया है। हां/नहीं

तिथि––

(हस्ताक्षर)

पता–– पूरा नाम––

पदनाम––

अनुदेश

1. इस आवेदन पत्र में अंकित सभी विवरण आवेदक द्वारा स्पष्ट एवं सुपाठ्य ढंग से भरे जाने चाहिए।

2. आवेदक का नाम /विश्वविद्यालय डिग्री/डिप्लोमा तथा मैट्रीकुलेशन प्रमाण-पत्र में अंकित नाम के अनुरूप ठीक-ठीक मिलना चाहिए।

3. रजिस्ट्रीकरण शुल्क का भुगतान आई०पी०ओ० /बी०डी०/एम०आर० संख्या––––––––––; दिनांक––––––––––जो संलग्न हो तथा रजिस्ट्रार, बिहार पशु चिकित्सा परिषद् पटना के पक्ष में हो। बैंक ड्राफ्ट का निकासी भारतीय स्टेट बैंक, पटना सचिवालय शाखा में भुगतेय होना चाहिए।

4. आवेदन-पत्र निबंधित डाक से पावती सहित भेजा जाना चाहिए, या यदि स्वंय प्रस्तुत किया जाय तो रसीद अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5. नियोजन का विवरण स्पष्ट एव सुपाठ्य ढंग से लिखा जाना चाहिये। ऐसी प्रत्येक प्रविष्ट के पश्चात् एक लाईन में लाल स्याही से स्थानान्तरण/ पदस्थापन के उस आदेश की संख्या एव तिथि लिखें जिसके आधार पर आपने उपर्युक्त पदस्थापन का प्रभार लिया।

प्रपत्र संख्या——11
(नियम——45)

बिहार राज्य पशुचिकित्सा पंजी का प्रपत्र

बिहार पशु चिकित्सा परिषद,
पोस्ट-बी०वी०सी०, पटना——14

1. खण्ड संख्या—— क्रमांक——
2. पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)
3. जन्म तिथि एवं स्थान ——
4. राष्ट्रीयता——
5. पिता का नाम——
6. पति का नाम——

फोटो

रजिस्ट्रीकरण संख्या एवं तिथि

7. स्थायी पता	8. वर्त्तमान पता——
नाम/द्वारा	पदनाम
ग्राम।मुहल्ला	गांव।मुहल्ला
पत्रालय	पत्रालय——
थाना	थाना——
प्रखण्ड	प्रखण्ड——
अनुमण्डल——	अनुमण्डल——
जिला——	जिला——
पीन कोड	पीन कोड
दूरभाष संख्या——	दूरभाष संख्या
पदस्थापन विवरण——	

9. अर्हताएं (मैट्रीक से प्रारम्भ कर)

परीक्षा।डिग्री।डिप्लोमा	बोर्ड। विश्वविद्यालय।	संस्थान का नाम।	उत्तीर्ण होने का वर्ष एवं माह।	श्रेणी	कुल जोड़ प्राप्तांक का प्रतिशत।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

10. वर्त्तमान पता—

सरकार केन्द्रीय।राज्य गैर-सरकारी सेवा।निजी व्यवसाय।सेवा निवृत।अर्द्ध सरकारी। बीमा कम्पनी।बैंक।विश्वविद्यालय सेवा।

11. नियोजन का विस्तृत विवरण (पशु चिकित्सा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात्।)

कार्यालय।संस्थान।फर्म	धारित पद	कब से	कबतक	वेतनमान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

12. अभ्युक्ति---

प्रविष्टिकर्त्ता प्रविष्टि जांचकर्त्ता रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर

13. रजिस्ट्रीकरण का अंतरण (विवरण पत्राचार के प्रसंग सहित लिखा जाय)

(क) प्रविष्टिकर्त्ता प्रविष्टि जांचकर्त्ता रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर

(ख) प्रविष्टिकर्त्ता प्रविष्टि जांचकर्त्ता रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर

14. हटाए जाने की तिथि एवं कारण (अधिनियम की धारा, नियम जिसके तहत नाम हटाया गया)

(क) प्रविष्टिकर्त्ता प्रविष्टि जांचकर्त्ता रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर

(ख) प्रविष्टकर्त्ता प्रविष्टि जांचकर्त्ता रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर

15. पुर्न प्रविष्टि।पुर्नस्थापन (तिथि एवं प्रसंग पुर्नप्रविष्टि। पुर्नस्थापन आदेश के साथ)

(क) प्रविष्टिकर्त्ता प्रविष्टि जांचकर्त्ता रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर

(ख) प्रविष्टिकर्त्ता प्रविष्टि जांचकर्त्ता रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर

नवीकरण

16. प्रथम नवीकरण .. कबतक मान्य

प्रविष्टिकर्त्ता .. प्रविष्टि जांचकर्त्ता .. रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर (मुहर)

द्वितीय नवीकरण .. कबतक मान्य

प्रविष्टिकर्त्ता .. प्रविष्टि जांचकर्त्ता .. .. रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर (मुहर)

तृतीय नवीकरण .. कबतक मान्य

प्रविष्टिकर्त्ता .. प्रविष्टि जांचकर्त्ता .. .. रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर (मुहर)

चतुर्थ नवीकरण .. कबतक मान्य

प्रविष्टिकर्त्ता .. प्रविष्टि जांचकर्त्ता .. .. रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर (मुहर)

पंचम नवीकरण .. कबतक मान्य

प्रविष्टिकर्त्ता .. प्रविष्टि जांचकर्त्ता .. .. रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर (मुहर)

(302) 689

(61)

प्रपत्र संख्या—12

(नियम—47)

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

सील बिहार पशुचिकित्सा परिषद्
छाप पोस्ट-बी० भी० कॉलेज, पटना 14

वर्ष——————रजिस्ट्रीकरण संख्या——————तिथि——————

प्रमाणित किया जाता है कि डा०——————
(पूरा नाम एवं अर्हता) ——————पुत्र।पुत्री श्री ——————
——————स्थायी पता——————

का रजिस्ट्रीकरण पशुचिकित्सा कर्मी के रूप में विधिवत् रजिस्ट्रीकरण किया गया है और वे भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम (1984) (1984 का 52) के अधीन प्रदत्त सभी विशेषाधिकारों के हकदार हैं।

साक्ष्य के रूप में बिहार पशुचिकित्सा परिषद् की मुहर लगायी गई एवं उक्त परिषद के रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर अंकित है।

उपर्युक्त रजिस्ट्रीकरण दिनांक——————तक मान्य रहेगा।

खण्ड संख्या—
क्रमांक
तिथि

सील

गोल्ड

रजिस्ट्रार
मुहर

नवीकरण

प्रथम नवीकरण तिथि:—	मान्यता की तिथि	रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर (मुहर)
द्वितीय नवीकरण तिथि—	मान्यता की तिथि	रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर (मुहर)

यह प्रमाण-पत्र भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के अधीन स्थापित बिहार राज्य पशु चिकित्सा परिषद् का सम्पति है तथा बिहार पशुचिकित्सा परिषद् नियमावली, 1998 के नियम 47 के अन्तर्गत उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्सक को निर्गत किया जाता है।

प्रपत्र संख्या-13

(नियम—40) मूल्य 100 रुपया।

प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति निर्गत हेतु आवेदन-पत्र

बिहार पशु चिकित्सा परिषद्
पोस्ट—बी०भी० कॉलेज,
पटना—14

संख्या—
सेवा में

रजिस्ट्रार,

बिहार पशु चिकित्सा परिषद्
पटना—14

अभिप्रमाणित फोटो

महोदय,

मुझे सूचित करना है कि मेरा रजिस्ट्रीकरण का मूल प्रमाण-पत्र खो। विनिष्ट हो गया है। अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि कृपया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति निर्गत की जाय।

2. मेरा मूल रजिस्ट्रीकरण संख्या————दिनांक————है।

3. मैं सत्यापन के लिए पशुचिकित्सा संबंधी डिग्री। डिप्लोमा की मूल एवं एक फोटोस्टेट प्रति संलग्न कर रहा हूं। सम्यक सत्यापन के पश्चात् कृपया मूल प्रति लौटा दी जाय।

4. मैं जन्म तिथि के प्रमाणस्वरूप मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र की मूल प्रति एक एवं फोटो स्टेट प्रति संलग्न कर रहा हूं। सम्यक सत्यापन के पश्चात् मूल प्रति लौटा दी जाय।

5. मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने बिहार पशु चिकित्सा परिषद् के नियमों एवं विनियमों के अन्तर्गत वर्णित निदेशों एवं विवरणों को सावधानी पूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है तथा मैं परिषद् के नियमों एवं विनियमों का पालन करूंगा।

6. मैं इसके लिए विहित मात्र 10.00 (दस) रुपये की निर्धारित शुल्क आई०पी०ओ०।बी०डी०।एम०-

आर० सं०————, दिनांक————

————के रूप में इसके साथ संलग्न कर रहा हूं।

7. मैं इसके साथ, इस संबंध में मेरे द्वारा लिखा गया शपथ-पत्र परिषद् को समर्पित कर रहा हूं।

8. मैं प्रमाणित करता हूं कि इस आवेदन-पत्र के सभी प्रविष्टियों, जहां तक मेरी जानकारी एवं विश्वास है, सही है।

स्थान— आपका विश्वासी

तिथि— (हस्ताक्षर)

पूरा नाम—
पता—

अनुलग्नक—

(1) प्रमाण-पत्र
(2) शपथ-पत्र
(3) आई०पी०ओ०।वी०डी०।एम०आर०

पूरा पता—

द्वारा साक्ष्य

(हस्ताक्षर)

पूरा नाम—
रजिस्ट्रीकरण संख्या—

दिनांक—

मूल प्रमाण-पत्र वापस पाया

(हस्ताक्षर)

प्रपत्र संख्या-14
[नियम-50(2)]

मूल्य—100 रु०

रजिस्ट्रीकरण पशुचिकित्सा व्यवसाय का बिहार के दूसरे राज्य में नाम अन्तरित करने हेतु आवेदन

सेवा में

रजिस्ट्रार,
बिहार पशु चिकित्सा परिषद्,
पटना 14

महोदय,

मैं डा०.............................पुत्र श्री.......................................
.............का...निवासी हूं और सम्प्रति ....(स्थान) पर पशु चिकित्सा औषधि व्यवसाय कार्य कर रहा हूँ, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम,1984 (1984 का 52) के अधीन बिहार राज्य पशुचिकित्सा परिषद् द्वारा अपना नाम एवं अन्य सुसंगत ब्योरे रजिस्ट्रीकरण कराये हुए एक रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी हूं। मेरा रजिस्ट्रीकरण संख्या.................................
दिनांक...है।

2. मैं अपना नाम एवं ब्योरे उपर्युक्त पंजी से————————————राज्य की पशु चिकित्सा पंजी में अन्तरित कराने का इच्छुक हूँ। वहां मैं पशु चिकित्सा व्यवसाय करना चाहता हूँ।

अत: मेरा अनुरोध है कि बिहार राज्य पशुपालन पंजी से मेरा नाम हटाने के पश्चात एक स्वच्छता प्रमाण-पत्र संबंधित विवरण के साथ उस राज्य को भेजा जाय।

3. मैं इस आवेदन के साथ अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र एवं पहचान-पत्र समर्पित कर रहा हूँ।

4. मैं इसके साथ विहित शुल्क के रूप में मात्र 15 (पन्द्रह) रुपये का आई०पी०ओ०।बी०डी०।एम०आर० सं०............................. दिनांक................................ संलग्न कर रहा हूं।

स्थान........

दिनांक........

स्थायी पता........

आपका विश्वासी,
(हस्ताक्षर)

पूरा नाम...........
रजिस्ट्रीकरण संख्या........
तिथि.........
पदनाम..........
पता.........

प्रपत्र संख्या-15

मूल्य 200 रुपये

[नियम-5 (2)]

रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतु आवेदन।

बिहार पशुचिकित्सा परिषद्
पोस्ट-बी०भी० कॉलेज,
पटना-14

संख्या:—

सेवा में

अभिप्रमाणित फोटो

रजिस्ट्रार,
बिहार पशु चिकित्सा परिषद्
पटना-14

महाशय,

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 (1984 का 52) के अधीन बिहार पशु चिकित्सा परिषद् में अपने रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतु मैं आवेदन करता हूं तथा मुझे तत्संबंधी प्रमाण-पत्र दिया जाय।

1. मेरी मूल रजिस्ट्रीकरण संख्या———————दिनांक———————है।

2. मेरे रजिस्ट्रीकरण के पांच वर्षों की अवधि दिनांक———————को समाप्त होने जा रहा है।

3. यह मेरा———————नवीकरण होगा।
(प्रथम,\ द्वितीय।तृतीय या जैसा हो)

4. मैं इसके लिए निर्धारित शुल्क मात्र 15.00—(पन्द्रह) रुपये आई०पी०ओ०।बी०डी०।एम० आर० सख्या———————दिनांक——————— के रूप में इसके साथ संलग्न कर रहा हूं।

5. राज्य पशु चिकित्सा पंजी में चिपकाने एवं परिचय-पत्र में इसके साथ दो प्रतियों में अपना अद्यतन फोटोग्राफ संलग्न कर रहा हूँ।

6. मैं इसके साथ अपना मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र एवं परिचय-पत्र आवश्यक प्रेविष्टि एवं नवीकरण हेतु संलग्न कर रहा हूं।

स्थान:—

तिथि:— (हस्ताक्षर)

पता:— पूरा नाम—

नोट:—क्रास इंडियन पोस्टल आॅर्डर, रजिस्ट्रार, बिहार पशुचिकित्सा परिषद्, पटना-14 के नाम होना चाहिए।

2. बैंक ड्राफ्ट, भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा,पटना पर रजिस्ट्रार, बिहार पशु चिकित्सा परिषद्-14 के नाम होना चाहिए।

छेद्दार

(आवेदक को दी जानेवाली रसीद)

संख्या————————————

रजिस्ट्रीकरण नवीकरण हेतु मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र परिचय-पत्र तथा रजिस्ट्रीकरण हेतु शुल्क मात्र 15-00—(पन्द्रह) रुपये का आई०पी०ओ०।बी०डी०।एम०आर० के साथ आवेदन-पत्र प्राप्त किया।

प्राप्तकर्त्ता पदाधिकारी,

(मुहर)

तिथि:—

प्रपत्र संख्या-16

किमत 150 रु०

[नियम-51(3)]

बिहार राज्य पशुचिकित्सा पंजी में पुनः प्रविष्टि हेतु आवेदन।

(नवीकरण शुल्क के भुगतान नही करने के कारण नाम हटाये जाने की दशा में)

संख्या 7————————————

सेवा में

रजिस्ट्रार,
बिहार पशु चिकित्सा परिषद्,
पटना-14

महोदय,

मैं,अधोहस्ताक्षरी डा०————————————
अर्हता धारण सत्य निष्ठा के साथ निम्नांकित घोषणा करता हूँ।

अंकित अर्हताओं के लिए————————————

(1) कि वर्ष——————————————में मेरा नाम बिहार पशुचिकित्सा परिषद् में विधिवत् रजिस्ट्रीकरण अंकित अर्हताओं के लिए——————————————रजिस्ट्रीकरण संख्या ——————————————दिनांक के लिए रजिस्ट्रीकृत किया गया था।

(2) कि मेरा नाम नवीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने के कारण दिनांक—————————— को पंजी से हटा दिया गया था।

(3) कि पंजी से नाम हटाये जाने के समय से मैं——————————————में निवास करता रहा हूँ एवं इस अवधि में मेरे द्वारा पशु चिकित्सा व्यवसाय नहीं किया गया था।

(4) मैं, इसके साथ मात्र 25।——(पच्चीस) रुपये अधिनियम की धारा -50 के अन्तर्गत निहित एवं अधिनियम की धारा-40 के अन्तर्गत निहित मात्र 15।——(पन्द्रह) रुपये शुल्क के रूप में आई०पी०ओ०।बी०डी०।एम० आर० संख्या——————————दिनांक——————————संलग्न कर रहा हूं।

(5) कि मेरा अनुरोध है कि मेरा नाम पंजी में पुनः प्रविष्टि कर लिया जाय।

आप का विश्वासी

(हस्ताक्षर)
पूरा नाम—
पता:—

स्थान:—
तिथि:—
द्वारा साक्ष्य:—
हस्ताक्षर:—
पूरा नाम:—
रजिस्ट्रीकरण संख्या, दिनांक एवं पता—

पुनर्प्रविष्टि के समर्थन के लिए प्रमाण-पत्र

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूं कि आवेदक डा०——————————————————

——————————————————पुत्र श्री——————————————————

——————————वही व्यक्ति हैं जो मूलतः रजिस्ट्रीकरण संख्या—————————— ——————————दिनांक——————————से रजिस्ट्रीकृत है और जिनका नाम

पूर्व में बिहार पशु चिकित्सा पंजी में निम्नांकित पता तथा अर्हता के साथ अंकित था।

नाम—
पता—

अर्हता—
स्थान—
तिथि—

पता—

(हस्ताक्षर)
पूरा नाम—
रजिस्ट्रीकरण संख्या
दिनांक
पदनाम—

स्थान—
तिथि—
पता:—

(हस्ताक्षर)

रजिस्ट्रीकरण संख्या—

दिनांक—
पदनाम—

(296) 674

55

प्रपत्र संख्या-17
(नियम-52)

मूल्य—75रुपये ।

राज्य पशुचिकित्सा पंजी की एक प्रति निर्गत करने हेतु आवेदन

बिहार पशुचिकित्सा परिषद्
पोस्ट-बी० भी० कॉलेज,
पटना-800014

सेवा में

रजिस्ट्रार,
बिहार पशु चिकित्सा परिषद्
पटना-800014

महोदय,
मुझे सूचित करना है कि मैं बिहार राज्य पशुचिकित्सा परिषद् का एक रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्सा व्यवसायी हूं। मेरा रजिस्ट्रीकरण संख्या........................दिनांक..............................है ।

2- मुझे वर्ष..............................की बिहार राज्य पशुचिकित्सा पंजी की एक प्रति लेने की आवश्यकता है । कृपया इसकी आपूर्ति की जाय ।

3- मैं विहित शुल्क के रूप में इसके साथ 10।—(दस) रुपये का आई०पी०ओ०।बी०डी०।एम०आर० संख्या ....दिनांक..............................संलग्न कर रहा हूं।

आप का विश्वासी

(हस्ताक्षर) ;

पूरा नाम—
रजिस्ट्रीकरण संख्या

स्थान:—
दिनांक:—
पता:—

प्रपत्र-संख्या-18
नियम-75

दिनांक—
पदनाम—

बिहार पशु चिकित्सा परिषद्
पोस्ट बी० भी० कॉलेज,
पटना-14

बिहार राज्य पशु चिकित्सा पंजी से नाम हटाने के लिए चलायी जाने वाली कार्यवाही में उपस्थित होने के लिए रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी को नोटिस ।

दिनांक—

महाशय,

मैं इसके द्वारा बिहार पशु चिकित्सा परिषद् की ओर से आपको यह नोटिस दे रहा हूं कि परिषद् के सम्मुख सूचना एव साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिसके द्वारा शिकायतकर्त्ता ने अनुलग्न आरोप लगाया।लगायें हैं इसके एवं सबंद्ध में आप पशु चिकित्सा संबंधी कार्य में अहित आचरण के दोषी रहें हैं अथवा इस तिथि को आप——————— अपराध के लिए अपराधी ठहराये गये हैं, जैसा कि संलग्न है और आगे निदेशानुसार आपको सूचित करना है कि

दिनांक——————————को पूर्वाह्न।अपराह्न में जांच समिति की बैठक——————————के कार्यालय में आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने तथा यह विचार करने हेतु आयोजित होगी कि आपका नाम अधिनियम की धारा-49 के अधीन बिहार पशु चिकित्सा पंजी से हटाने के लिए निर्णय लिया जाय अथवा नहीं। आप उल्लिखित आरोपों पर लिखित उत्तर देने तथा आरोपों के विरुद्ध स्थापित की जाने वाली अस्वीकृति या बचाव के लिए ऊपर अंकित स्थान एवं समय पर जांच समिति के समक्ष आरोपों के विरुद्ध किसी भी अस्वीकृति को स्थापित करने अथवा बचाव करने के लिए उपस्थित होने के लिए आमंत्रित हैं और इसके द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप जैसा कि आपसे अनुरोध की जाती है, उपस्थित नहीं होंगे तो जांच समिति आपकी अनुपस्थिति में कथित आरोप की सुनवाई एवं निर्णय कर सकती है।

कोई भी उत्तर अथवा अन्य सूचना या आवेदन, जो किसी आरोप के संबंध में आप देना चाहते हैं या उसके संबंध में जो बचाव हो वह रजिस्ट्रार को सम्बोधित ऐसे ढंग से संसूचित करें कि वह मामले की सुनवाई के लिए निश्चित की गई तिथि से कम से कम तीन दिन पहले प्राप्त हो जाए।

स्थान—　　　　परिषद् का सील　　　　रजिस्ट्रार

(मुहर)

तिथि—

प्रपत्र संख्या 19

(नियम 84)

मूल्य 250 रु०

नाम के पुनः स्थापन के निमित्त आवेदन

(अधिनियम की धारा-49 के अधीन नाम हटाये जाने की स्थिति में)

संख्या—

सेवा में

रजिस्ट्रार,
बिहार पशु चिकित्सा परिषद्,
पटना-14

महोदय,

मैं, डा०..अधोहस्ताक्षरी, जो ....को अर्हता धारण करता हूँ, सत्यनिष्ठा के साथ निम्नलिखित घोषणा करता हूँ:—

1. कि मेरा नाम बिहार पशु चिकित्सा परिषद् में वर्ष..............................में रजिस्ट्रीकृत हुआ था।

2. कि मेरे विरुद्ध श्री..द्वारा एक शिकायत की गई थी और उसकी जांच..को की गई थी।

3- कि मेरा नाम पंजी से....................को..
....

....

......आरोप।आरोपों के लिए हटा दिया गया था।

4, कि पंजी से मेरा नाम हटाये जाने के पश्चात् मैं..
..................पर रहा हूं और इस अवधि में पशु चिकित्सा व्यवसाय नहीं कर रहा हूं।

5. कि मैं इसके साथ निर्धारित शुल्क मात्र 25 (पच्चीस) रुपये आई० पी० ओ०/डी० डी०/एम० आर० संख्या .... दिनांक .... के साथ संलग्न कर रहा हूं।

6. कि मैं अनुरोध करता हूं कि मेरा नाम पंजी में पुनः स्थापित किया जाय।

7. मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि इस आवेदन-पत्र में मेरे द्वारा दिये गये विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही हैं।

आपका विश्वासी

(हस्ताक्षर)

पूरा नाम—
रजिस्ट्रीकरण संख्या—
दिनांक—
पदनाम—
पदनाम—

स्थान—

तिथि—
पता—
द्वारा साक्ष्य
(हस्ताक्षर)
पूरा नाम—
रजिस्ट्रीकरण संख्या एवं दिनांक—

प्रमाण-पत्र-1

मैं एतद् द्वारा डा० .... सुपुत्र श्री .... को पहचान करता हूँ। ये वही व्यक्ति हैं जिनका नाम पूर्व में बिहार राज्य पशु चिकित्सा पंजी में निम्नलिखित अर्हताओं .... एवं पता .... के साथ रजिस्ट्रीकृत है। उनकी रजिस्ट्रीकरण संख्या .... थी। .... दिनांक ....

(हस्ताक्षर)

पूरा नाम—
रजिस्ट्रीकरण संख्या दिनांक
पदनाम—

स्थान—

तिथि—
पता—

प्रमाण-पत्र-2

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूं कि डा० .... को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। उनका नाम पूर्व में बिहार राज्य पशु चिकित्सा पंजी में रजिस्ट्रीकरण संख्या .... दिनांक .... के द्वारा रजिस्ट्रीकृत था।

मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उनका चरित्र एवं आचरण अच्छा है।

(हस्ताक्षर)

पूरा नाम—

रजिस्ट्रीकरण संख्या दिनांक

पदनाम

स्थान—

तिथि—

पता—

671
52

बिहार पशु चिकित्सा परिषद्

कम्प्यूटर के लिए

(नियोजन का विवरण पशुचिकित्सा में अर्हताएं प्राप्ति के पश्चात)

नाम..

जन्म तिथि......................................पिता।पति का नाम...............

रजिस्ट्रीकरण संख्या...............एवं तिथि.....................................

स्थायी पता	वर्त्तमान पता
नाम द्वारा—	पदनाम—
ग्राम।मुहल्ला—	औडिट क्रमांक (मूल)
पत्रालय—	ग्राम।मुहल्ला
थाना—	पत्रालय
प्रखंड—	थाना—
अनुमंडल—	प्रखण्ड—
जिला—	अनुमंडल—
पिनकोड—	जिला—
दूरभाष संख्या—	पिनकोड—
पदस्थापन विवरण—	दूरभाष संख्या—

कार्यालय। संस्थान।फर्म	पदनाम	मुख्यालय	कब से	कब तक	कुल अवधि वर्ष।माह	वेतनमान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र संख्या 20

(नियम 94) मूल्य—50 रु०

निष्ठा या शपथ

बिहार पशु चिकित्सा परिषद्

पोस्ट-बी० भी० कॉलेज, पटना-14

घोषनाएं

1. मैं सत्य निष्ठापूर्वक पशु-जगत की सेवा के द्वारा मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने का बचन देता हूं।

2 मैं अपने शिक्षक एवं वरीय जनों को सम्यक् आदर एवं उचित सम्मान प्रदान करूंगा।

3. मैं पूर्ण अन्तःकरण एवं प्रतिष्ठा के साथ अपने व्यवसाय में संलग्न रहूंगा।

4. अपने रोगियों का स्वास्थ्य मेरा प्रधान विचार होगा।

5. मैं विश्वास दिलाता हूं कि गोपनीयता जो मुझसे सन्निहित है, का पूर्णतया पालन तथा समादर करुंगा।

9. मैं अपने सर्वशक्ति साधन से पशु चिकित्सा व्यवसाय की मर्यादा की रक्षा एवं परंपरा को निभाते हुए इसे गौरव प्रदान करुँगा।

7. मैं पशु चिकित्सा व्यवसाय में अपने मित्रों एवं सहकर्मियों के साथ भाईचारे का विचार रखूंगा।

8. मैं अपने मूल रोगियों को उचित एवं अच्छी चिकित्सा करुंगा तथा उनके स्वामियों के धर्म, राष्ट्रीयता, वंश, जाति और सामाजिक स्तर को ध्यान में रखकर कोई भेद-भाव नहीं करुंगा।

मैं पूर्ण निष्ठा के एवं स्वतंत्र रूप से सम्मान पूर्वक ये प्रतिज्ञाएं करता हूं।

(हस्ताक्षर)

पूरा नाम—

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया।

पदनाम—

रजिस्ट्रार

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण), 234—लाईनो—745+2000—बा० सा० माथुर